

सर्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पर प्रशिक्षण

By



Table of Contents

क्र. सं.	आध्याय	पेज सं
1	अध्याय 1: जन वितरण प्रणाली का विकास	6
1.1	जन वितरण प्रणाली का इतिहास	6
1.2	हरा कार्ड (झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना)	8
1.3	PDS का तकनीकीकरण	9
1.4	ONORC क्या है?	11
2	अध्याय 2: जन वितरण प्रणाली के अनेक प्रक्रिया	13
2.1	पात्रता और आवेदन	13
2.2	आवंटन, उठाव एवं वितरण	23
2.3	सत्यापन और निगरानी	27
2.4	शिकायत निवारण	29
3	अध्याय 3: समस्या समाधान	30
3.1	राशन कार्ड से संबंधित मुद्दे	32
3.2	राशन वितरण के संबंध में	45
3.3	अन्य मुद्दे	48
4	शिकायत निवारण की प्रक्रिया	52
4.1	आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र	52

Figures

क्र. सं.	Figure	पेज सं
1.1	Evolution of PDS	7
1.2	संछेप में ONOR	12
2.1	जन वितरण प्रणाली का जीवन चक्र	13
2.2	राशन कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया	20
2.3	प्राथमिकता सूची	23

2.4	खाद्यान उठाव, परिवहन एवं सप्लाई चेन	25
-----	-------------------------------------	----

Tables

क्र. सं.	Tables	पेज सं.
1.1	झारखण्ड के अनेक प्रकार के राशन कार्ड	9
1.2	झारखण्ड में आधार सीडिंग के आंकड़े	10
2.1	अपात्र/ अयोगिता मापदंड सारांश	14
2.2	विभिन्न जिम्मेवार वियक्ति/ विभाग द्वारा RCMS का उपयोग	15
2.3	अन्य तरह के आवेदन करते वक्त दस्तावेज की सारणी	16
2.4	आवेदनों के स्वीकृति/अस्वीकृति की समय- सीमा	21
2.5	बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सफल प्रमाणीकरण के लिए चेकलिस्ट	27
4.1	शिकायत निवारण का विभिन्न तंत्र	52
4.2	आन्तरिक शिकायत निवारण की प्रक्रिया और जिम्मेदार व्यक्ति	53

शब्द कोष

AAV	Antodaya Anna Yojana / अन्तोदय अन्न योजना
ABBA	Aadhaar Based Biometric Authentication / आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण
APL	Above Poverty Line / गरीबी रेखा से ऊपर
BC	Banking Correspondent / बैंकिंग कोर्रेस्पोंडेंट
BSO/MO	Block Supply Officer/Marketing Officer / प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/मार्केटिंग ऑफिसर
BPL	Below Poverty Line / गरीबी रेखा से नीचे
CPGRAMS	Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System / केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
CSP	Customer Service Point/ ग्राहक सेवा केंद्र
DGRO	District Grievance Redressal Officer / ज़िला शिकायत निवारण पदाधिकारी
DSD	Doorstep Delivery Agent / डोर स्टेप डिलीवरी एजेंट
DSO	District Supply Officer / ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी
ePOS	Electronic Point of Sale / इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल्स
FCI	Food Corporation of India / भारतीय खाद्य निगम
FPS	Fair Price Shop / उचित मूल्य की दुकान
HHT	Hand Held Terminal / हाथ से पकड़ने योग्य टर्मिनल
HoH	Head of the Household / घर के मुखिया
HoF	Head of the Family / घर के मुखिया
JSFC	Jharkhand State Food Commission झारखण्ड राज्य खाद्य कमीशन
JSFCSL	Jharkhand State Food and Civil Supplies Corporation Limited / झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
JSFSS	Jharkhand State Food Security Scheme / झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना

JSLPS	Jharkhand State Livelihood Promotion Society / झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी
MSP	Minimum Support Price / न्यूनतम समर्थन मूल्य
NFSA	National Food Security Act / राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट
NIC	National Informatics Center / राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
OTP	One Time Password / वान टाइम पासवर्ड
PDS	Public Distribution System / सार्वजनिक वितरण प्रणाली
PHH	Priority Household/ प्राथमिकता घरेलू राशन कार्ड
PMGKAY	Pradhan Mantri Gramin Kalyan Anna Yojana / प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
PoA	Proof of Address / पते का प्रमाण
Pol	Proof of Identity / पहचान प्रमाण
PRI	Panchayati Raj Institution / पंचायती राज संस्था
PVTG	Particularly Vulnerable Tribal Groups / विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, आदिम जनजाति
RCMS	Ration Card Management System / राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली
RPDS	Revamped Public Distribution System / संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
RTGS Act	Right to Service Guarantee Act / सेवा की गारंटी का अधिकार अधिनियम
SDO	Sub Divisional Officer / अनुमंडल पदाधिकारी
SIO	Store Issue Order / स्टोर इशू आर्डर
TDPS	Targeted Public Distribution System / लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
UIDAI	Unique Identification Authority of India / भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अध्याय 1: जन वितरण प्रणाली का इतिहास

भोजन का अधिकार जीवन का एक अनिवार्य पहलु है जो हमें सम्मान के साथ जीने का हक देता है। यह अधिकार संविधान एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम के द्वारा संरक्षित किया गया है। गरीब और कमज़ोर वर्गों के बीच खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए जन वितरण प्रणाली का मुख्य भूमिका रहा है जो इन वर्गों तक कम दर में आवश्यक वस्तुओं का वितरण करता है।

1.1 जन वितरण प्रणाली का इतिहास

खाद्य वितरण की सोच ब्रिटिश शासन के द्वारा 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अकाल और भोजन की कमी को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। स्वतंत्रता के बाद, भारत को भोजन की कमी और वितरण अक्षमताओं की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1960 के दशक में इसका उद्देश्य सिर्फ शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरित करने तक ही सिमित था। इसी समय हरित क्रांति (Green Revolution) भी लाया गया, जिसके तहत उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके बाद, इसे आदिवासी ब्लॉकों और अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों तक भी बढ़ाया गया। मुख्य उद्देश्य गरीबों को कम दरों पर आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना और बाजार में कीमतों को स्थिर करना था।

- खाद्य निगम अधिनियम 1964: 1964 में स्थापित भारतीय खाद्य निगम, किसानों से एम.एस.पी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खाद्यान्न खरीदता है और उन्हें जन वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों के बीच वितरित करता है। आवंटित खाद्यान्न राज्यों द्वारा राशन कार्ड धारकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वितरित किया जाता है।
- संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (1992) पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में 1,775 ब्लॉकों को कवर करने के लिए लॉन्च किया गया था। हालाँकि, आरपीडीएस अभी भी एक सार्वजनिक योजना थी। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी), और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी) जैसे क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रम लागू किए गए। राज्यों को केंद्रीय निर्गम मूल्य से 50 पैसे कम पर खाद्यान्न जारी किया गया। प्रति कार्ड 20 किलोग्राम आवंटित किया गया था।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.डी.पी.एस), 1997- यह एक लक्षित प्रणाली थी जो मुख्य रूप से गरीब परिवारों पर ध्यान केंद्रित करती थी जिन्हें बीपीएल कार्ड दिए गए थे और बाकी को अस्थायी उपाय के रूप में एपीएल कार्ड जारी किए गए थे।
- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), 2000 - अंत्योदय कार्ड 'सबसे गरीब लोगों' के लिए थे और उन्हें बी.पी.एल परिवारों की तुलना में अधिक सब्सिडी दी जाती थी।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 - इस कल्याण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में बदलाव को चिह्नित किया। इस अधिनियम का लक्ष्य 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न

प्राप्त करना था। 2011 की जनगणना और 2011-12 के एन.एस.एस घरेलू उपभोग डेटा के आधार पर, भारत सरकार द्वारा झारखंड में 86.48% ग्रामीण आबादी और 60.20% शहरी आबादी को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे लाभार्थियों की अधिकतम संख्या 2,64,25,385 (2.65 करोड़) तय हो गई है।

- 1964 में स्थापित भारतीय खाद्य निगम, किसानों से एम.एस.पी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खाद्यान्न खरीदता है और उन्हें पी.डी.एस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों के बीच वितरित करता है। पी.डी.एस के लिए आवंटित खाद्यान्न राज्यों द्वारा राशन कार्ड धारकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वितरित किया जाता है।

Fig 1.1 जन वितरण प्रणाली का इतिहास



1.2 हरा कार्ड (झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना)

- इसे क्यों पेश किया गया और क्यों लाया गया - 2011 जनगणना के आधार पर केंद्र सरकार ने NFSA में राशन कार्डधारी पर सीमा लगा दिया है। इसलिए कई योग्य व्यक्ति इस योजना से वंचित रह गये हैं। झारखंड में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.3% है और फिलहाल झारखण्ड की जनसँख्या का आंकड़ा 4 कड़ोड़ है। झारखंड सरकार NFSA कोटा से बाहर रह गए लोगों के लिए नए राशन कार्ड जारी करने के लिए 2020 में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लेकर आई। इन्हें हरा (green) राशन कार्ड के रूप में जारी किया जा रहा है। इस योजना में झारखण्ड में 20 लाख हकदार को जोड़ने का काम चल रहा है।
- कोविड -19 और PMGKAY – कोविड के दौरान, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाया जो 5 किलो अरितिक्त खाद्यान्न मुफ्त में हर राशन कार्डधारक सदस्यों को देने के लिए लाया गया था। हलांकी, यह केवल NFSA यानि लाल और पीला राशन कार्ड वाले लोगों को ही कवर किया जा रहा है। जबकि NSFA के दायरे में नही आनेवाले को छोड़ दिया है। कोविड-19 के दौरान गंभीर परिस्थितियों के कारण हरा कार्ड के माध्यम से ज़्यादातर कवरेज का विस्तार करने की आवश्यकता अधिक महसूस की गई।

नोट :- राशन की पात्रता कोविड-पूर्व के राशि पर वापस आ गई है, लेकिन अब भारत सरकार द्वारा इस पर और अधिक सब्सिडी देती है और PMGKAY योजना के तहत इसे मुफ्त में वितरित किया जाता है।

- 2017 में झारखण्ड राज्य सरकार ने डाकिया योजना लाया था जो AAY के अनुसार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को राशन लेने में आ रही दिक्कतों को मद्देनजर रख कर लाया गया।। अन्य सभी योजनाओं (इसके लॉन्च के समय) में राशन कार्ड धारकों से चावल, गेहूँ और मोटे अनाज के लिए प्रति किलोग्राम खाद्यान्न पर 3/2/1 शुल्क लिया जाता है, डाकिया योजना के तहत PVTG परिवार को उनका राशन के दरवाजे में और बिना शुल्क /मुफ्त में पहुंचाया जाता है। हालाँकि डाकिया योजना के अन्तरगत केवल उन PVTG परिवार को ही लाभ मिलता है जिनके पास पीला कार्ड हो।

इस प्रकार, वर्तमान में झारखंड में राशन कार्डों की संख्या और उनकी पात्रता इस प्रकार से है:

Table 1.1 : झारखंड के अन्य प्रकार के राशन कार्ड

राशन कार्ड का प्रकार	योजना	पात्रता*	झारखण्ड में सदस्यों को शामिल (लगभग)
PHH(Priority Household) प्राथमिक घर	NFSA	5 किलो प्रति व्यक्ति- 4 किलो चावल +1 किलो गेहूँ और 1 लीटर किरासिन तेल प्रति कार्ड	2.30 कड़ोड़
AAY (अंत्योदय अन्न योजना)	NFSA	35 किलो प्रति परिवार- 28 किलो चावल + 7 किलो गेहूँ और 1 लीटर किरासिन तेल	34.50 लाख
Green Card (हरा कार्ड)	झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना	5 किलो प्रति व्यक्ति- 4 किलो चावल + 1 किलो गेहूँ और 1 लीटर किरासिन तेल प्रति कार्ड	15.93 लाख
White Card (सफेद कार्ड)	NFSA	1 लिटर केरसीन तेल प्रति कार्ड	13.50 लाख

* चावल और गेहूँ का मात्रा वास्तव में ऊपर नीचे होते देखा गया है। लेकिन सरकार से दोनों का मात्रा पक्का है।

ऊपर जो डाटा है उसे आहार पोर्टल से लिया गया है जो 29 अप्रैल 2024 का है।

1.3 PDS का तकनीकीकरण

2006 में, पी.डी.एस में समावेशन/अपवर्जन त्रुटियों, काला बाजारी, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, कमजोर शिकायत निवारण और सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली तंत्र जैसी समस्याओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाधवा समिति की स्थापना की गई थी। इसलिए समिति के सुझावों के अनुसार PDS का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण (end-to end computerization) किया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-16 five year plan) के तहत, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच लागत-साझाकरण के आधार पर टीपीडीएस संचालन के शुरू से अंत तक कम्प्यूटरीकरण की योजना प्रस्तावित किया गया।

- राशन कार्ड तकनीकीकरण - झारखंड में, प्रत्येक हकदारों के राशन कार्डों का डिजिटलइजेशन उनसे निर्धारित फॉर्म भरवाकर शुरू किया गया। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। सॉफ्टवेयर NIC झारखंड द्वारा डिजाइन किया गया था और सभी जिलों से डेटा एंट्री (डिजिटलीकरण) का काम ऑनलाइन किया गया था। इसके बाद, आपूर्ति कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए डेटा को सत्यापित और सही किया गया।

- आधार सिडिंग – NFSA में प्रस्ताव दिया गया की हर हकदार का अपना पहचान के लिए आधार सेवाओं का प्रयोग किया जाये। इसलिए उचित लक्ष्यीकरण के लिए हर व्यक्ति का उनके आधार को राशन कार्ड के साथ जोड़ा गया। 2016-17 में झारखण्ड में आधार सिडिंग का अभियान चलाया गया था जिसमें प्रक्रियाओं को बेहतर करने के लिए राशन कार्डों को आधार डेटाबेस से जोड़ा और नकली और डुप्लिकेट कार्डों को हटा दिया गया। आधार डेटाबेस के विरुद्ध राशन कार्ड विवरण को सत्यापित करने की प्रक्रिया को आधार प्रमाणीकरण कहा जाता है। हालांकी, आधार प्रमाणीकरण की कई समस्याएँ थी। एक अध्ययन में यह पाया गया की 2016-18 के बीच 90% राशन कार्ड डिलीट किया (हटाया गया) जो योग्य परिवार से थे।
- हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) के माध्यम से राशन दुकान पर आधार-आधारित राशन वितरण- लाभार्थियों को HHT के माध्यम से आधार सर्वर से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद राशन दिया जाता है। यह डेटा फिर झारखंड राज्य सरकार द्वारा बनाए गए आहार पोर्टल में डाला जाता है। सरकार का तर्क है कि इससे पहचान धोखाधड़ी, डीलर द्वारा चोरी आदि की गुंजाइश कम हो जाती है। HHTडिवाइस एक प्वाइंट ऑफ सेल (EPOS) मशीन है जिसमें दो प्रकार के आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हो सकते हैं- या तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से या इंटेलिजेंट रेटिनल इमेजिंग सिस्टम (IRIS) स्कैनर के माध्यम से। फिंगरप्रिंट स्कैनर का उपयोग पूरे झारखंड में अधिक व्यापक रूप से किया जाता है। इसे सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर झारखण्ड के रांची जिला के ओरमांडी प्रखंड में किया गया था।

Table 1.2 : झारखंड में आधार सिडिंग के आंकड़े।

झारखण्ड आधार सिडिंग	कुल (लाख में)	आधार सिडिंग (लाख में)	गैर आधार सीडेड (बिना आधार जोड़े) (लाख में)
राशन कार्ड	60.90	60.37	0.53
लाभुक	264.3	245.6	18.7

Source: <https://nfsa.gov.in/public/nfsadashboard/PublicRCDashboard.aspx>

डेटा 16/04/24 को आहार पोर्टल से लिया गया है

- आवंटन सूची जारी (निर्माण) – राशन वितरण का मासिक आदेश और योजना वर पात्रता/कोटा का प्रत्येक जिला के लिए राज्य स्तर पर किया जाता है। इसके बाद DSO (जिला आपूर्ति अधिकारी) डीलर वर आवंटन की सूची जारी करता है। एक बार आवंटन का फ्रिज हो जीने पर राशन आवंटन की जानकारी डीलर को SMS के माध्यम से मिल जाती है। इस प्रक्रिया ने जिले से डीलरों तक संचार में देरी को कम कर दिया है। डीलर अपने आवंटन की विवरण आहार पोर्टल से भी प्राप्त कर सकते हैं।

- पोर्टल विकास (Portal development) - <http://aahar.jharkhand.gov.in> एक गतिशील और वास्तविक समय का झारखण्ड राज्य का पीडीएस पोर्टल है जो NIC द्वारा डिजाइन किया गया है जो की लाभुक के जरूरत के सभी जानकारी उपलब्ध है डीलर, विभाग, और जनता, राशन कार्डधारी भी अपने अधिकार, राशन उठाव और डीलर आदि के बारे में जानकारी ले सकते है। ये PDS में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा ।
- शिकायत निवारण (e-SAMADHAN) - <https://pgms.dfcajharkhand.in/> वेबसाइट है जहाँ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते है , अभी , एक टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप शिकायतों का प्रावधान भी चालू है।

हालांकी, PDS तकनीकीकरण के साथ कई नयी समस्याए उठी है। [EPOS मशीन में राशनकार्डधारी के अंगुली का पहचान नहीं होने पर कार्डधारी को राशन से वंचित हो जाते हैं \(बिना आधार वाले लूगों को छोड़कर\)](#)। इसमें एक साथ काम करने के लिए कई स्तरों पर तकनीकी/ प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता होती है। ग्रामीण भारत के अधिकांश हिस्सों में बैंक, एटीएम, नेटवर्क टावर जैसे बुनियादी ढांचे की गंभीर कमी है , जिसके वजह से अधिकतर लोग लाभ से छुट जाते हैं।

1.4 ONORC क्या है ?

One nation one ration card, NFSA के तहत राशन कार्डों की राष्ट्र भर में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा आधार-आधारित योजना लागू किया गया है। यह प्रणाली सभी NFSA कार्ड धारकों के लिए राष्ट्र भर में कहीं से भी राशन उठाव करने की अनुमति देती है। विशेष रूप से प्रवासियों को, आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ मौजूदा राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राशन डीलर से से अपने हक का खाद्यान्न पूरा या आंशिक राशन ले सकते हैं। यह प्रणालीप्रवासी मजदूर के परिवार के सदस्यों को, यदि कोई हो, उसी राशन कार्ड पर शेष खाद्यान्न का उठाव करने की भी अनुमति देता है।

यह प्लान 9 अगस्त 2019 को चार राज्य दो कलस्टर (कलस्टर -1 आंध्रा प्रदेश और तेलंगाना और कलस्टर -2 महाराष्ट्र और गुजरात) में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरु किया गया था। अब इसे देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया है। ONORC डाटा IMPDS पोर्टल पर ऑनलाइन पाया जा सकता है।

Fig1.2 संछेप में ONOR

संक्षेप में ONOR

राशन कौन उठा सकता है?

कोई भी पिला और लाल कार्ड धारक | झारखंड में ग्रीन कार्ड धारक ONORC के तहत अपना राशन उठाने के पात्र नहीं हैं

राशन कहां से उठा सकते हैं?

देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी (UT) में कोई भी राशन डीलर दुकान

कितना राशन उठा सकते हैं

प्रवासी पूरा या आंशिक राशन उठा सकता है और परिवार के सदस्य शेष राशन उठा सकते हैं

राशन कैसे उठाएं?

राशन कार्ड धारक राशन डीलर को अपना राशन कार्ड नंबर बताएँ - डीलर Epos मशीन में नंबर डालेंगे जिससे कार्ड धारक के परिवार की पात्रता दिखेगी। कार्ड धारकों के सफलतापूर्वक अंगूठा लगाने (बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण) के बाद राशन मिलेगा।

भौतिक राशन कार्ड की आवश्यकता?

राशनकार्ड धारकों को भौतिक (असली) कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें खाद्यान्न उठाने के लिए किसी भी नजदीकी EPOS सक्षम डीलर दूकान पर राशनकार्ड या आधार कार्ड की प्रति देना होगा या राशनकार्ड नंबर या आधार नंबर बताना होगा।

आप लेनदेन का विवरण कहां देख सकते हैं?

<https://impds.nic.in/portal> अंतरराज्यीय लेनदेन के लिए
<https://annavitrans.nic.in/AVL/welcome> राज्य के अंदर के लेनदेन
<https://aahar.jharkhand.gov.in/transactions/impds-transactions> झारखंड के अंदर और बाहर सभी ओ.एन.ओ.आर.सी. लेनदेन

अध्याय 2 :- जन वितरण प्रणाली के अनेक प्रक्रिया

जन वितरण प्रणाली एक जटिल प्रक्रिया है और ये राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त जिम्मेवारी से संचालित किया जाता है। केंद्र सरकार का जिम्मेवारी, अनाज खरीदरी, भंडारण, लेनदेन और राज्य सरकार का आवंटन से लेकर विभिन्न कार्य शामिल है। राज्य के अन्दर अनाज का उप-आवंटन (FCI डिपो से ब्लॉक वाईज और आगे डीलरों तक पहुंचना), योग्य लाभुक का पहचान, राशन कार्ड का सुनिश्चित, अनाज वितरण, उचित मूल्य का दुकान (FPS) आदि कामकाज का पर्यवेक्षण और निगरानी करने का जिम्मेदारी राज्य का है।

सरल और अच्छे से PDS के प्रक्रिया समझने के लिए कार्डधारी के दृष्टिकोण से PDS की प्रक्रिया के चरण देख सकते हैं।

Table 2.1 जन वितरण प्रणाली का जीवन चक्र



2.1. पात्रता और आवेदन

NFSA 2013 लागू होने के बाद, परिवारों/व्यक्तियों की पहचान के मापदंड को BPL/APL सूची से अलग कर दिया गया है और नये अपात्रता के मापदंडो को परिभाषित किया गया है। झारखण्ड सरकार अब अपात्रता मापदंड का पालन करता है जो नीचे दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति या परिवार एक या अधिक मापदंड के अंतर्गत आता है, तो वे NFSA और हरा कार्ड प्राप्त करने में अपात्र होंगे। हालांकी वे सफेद कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

Table 2.1 : अपात्र/अयोग्यता मापदंड सारांश

मापदंड	विवरण
आयकर	आवेदक या परिवार के सदस्य आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर देता हो.
सरकारी नौकरी/ व्यवसाय	आवेदक या परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी/ उद्योग/ उपक्रम में कार्यरत हो. आवेदक या परिवार के अन्य सदस्य का अपना व्यवसाय/उद्योग सरकार के साथ पंजीकृत हो
जमीन	अपना 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो
घर/मकान	पक्का दीवार और छत के साथ 3 कमरा या अधिक हो। (यदि हकदार का सरकारी योजना के अन्तर्गत मकान का निर्माण हुआ हो तो उसको छोड़ के)
वाहन	एक या इससे अधिक चार-पहिया का वाहन
कृषि उपकरण	कृषि उपकरण जैसे थ्रेशर ट्रैक्टर आदि, जो 5 लाख या अधिक कीमत का हो

Source-PDS control Order 2022, Sec.4(iii),page 5u

2.1.1 आवेदन, आवेदन स्वीकृत और ट्रैक

एंड- टू-एंड तक कंप्यूटरीकरण की योजना को लागू करने के लिए डिजिटलीकरण की आवश्यकता थी। इसके लिए राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS) को लाया गया जहाँ सभी राशन कार्ड को डिजिटल डाटाबेस बनाया गया। झारखण्ड सरकार का अपना पोर्टल है <https://jsfss.jharkhand.gov.in/> जिसको विभिन्न जिम्मेवार व्यक्ति/विभाग - हकदार, प्रजा केंद्र, ब्लॉक और जिला अधिकारी आवेदन संबंधित कार्यवाही के लिए उपयोग कर सकते हैं। आवेदन देना या आवेदन ट्रैक करने के लिए हकदार या प्रजा केंद्र पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं। आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारी पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं और BSO/DSO लॉगइन के माध्यम से आवेदन को लंबित, अस्वीकृत या स्वीकृत कर सकते हैं। विभिन्न जिम्मेवार व्यक्ति/विभाग द्वारा अधिक विस्तृत उपयोग निचे दिए गये।

Table 2.2 : विभिन्न जिम्मेवार व्यक्ति/विभाग द्वारा RCMS का उपयोग.

जिम्मेवार व्यक्ति/ विभाग (Stakeholders)	उपयोग
हकदार या प्रज्ञा केंद्र	<ul style="list-style-type: none"> ● हकदार खुद इस पोर्टल के द्वारा आवेदन कर सकते हैं या प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदन दिया जा सकता है ● खुद से आवेदन करने के लिए आवश्यक चीजें – लैपटॉप, मोबाइल, इन्टरनेट कनेक्शन, स्कैन कीये गए दस्तावेज। ● राशन कार्ड से सम्बंधित विभिन्न प्रकार का आवेदन किया जा सकता है, जो निचे दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए MIS में देखें (Refer to Sl.No.12) <ol style="list-style-type: none"> 1. नया राशन कार्ड – बस हरा और सफेद कार्ड 2. मौजूदा राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए (एक बार में केवल एक सदस्य नाम जोड़ने का आवेदन किया जा सकता है) 3. एक राशन कार्ड से अन्य राशन कार्ड में नाम ट्रांसफर करना अपने जिला के अन्दर 4. डीलर बदलना 5. राशन कार्ड में सदस्य का आधार जोड़ना 6. राशन कार्ड में मोबाइल न० जोड़ना 7. राशन कार्ड समर्पण (surrender) 8. मौजूदा राशन कार्ड से सदस्य का नाम हटवाना 9. राशन कार्ड में परिवार के मुखिया बदलना 10. राशन कार्ड में नाम, रिश्ता, लिंग का सुधार <ul style="list-style-type: none"> ● पावती संख्या (acknowledgement number)/ राशन कार्ड संख्या के माध्यम से आवेदन ट्रैक करने का सुविधा भी देती है। राशन कार्ड नंबर के माध्यम से पिछला आवेदन भी देख सकते हैं। वहां से बाकि आवेदनों की पावती संख्या देख सकते हैं। फिर उस पावती संख्या से आवेदन ट्रैक कर सकते हैं। आवेदन कैसे ट्रैक करना है MIS सेक्शन में विस्तृत है (Refer to Sl. No.13)
प्रखंड अधिकारी - कंप्यूटर ओपरेटर और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO)	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (bso) अपने लॉगइन के माध्यम से आवेदनों पर कार्यवाही करते हैं। हकदार के द्वारा वे अपलोड किया हुआ दस्तावेज भी देख सकते हैं। ● सत्यापन के बाद अधिकारी आवेदनों को स्वीकृत, अस्वीकृत या लंबित के रूप में चिन्हित करते हैं। प्रत्येक आवेदन के लिए एक OTP BSO के पंजीकृत मोबाइल न० में प्राप्त होती है.

जिला अधिकारी - कंप्यूटर ओपरेटर और जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO)	<ul style="list-style-type: none"> जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगइन के मध्यम से - जिला अधिकारी आवेदनों पर कारवाही करते हैं। हकदार के द्वारा वे अपलोड किया हुआ दस्तावेज भी देख सकते हैं। सत्यापन के बाद अधिकारी आवेदनों को स्वीकृत, अस्वीकृत या लंबित के रूप में चिन्हित करते हैं। प्रत्येक आवेदन के लिए एक OTP DSO के पंजीकृत मोबाइल नं० में प्राप्त होती है।
--	--

नोट :- दस्तावेज का स्कैन की गयी कॉपी/प्रति के लिए स्वीकृत प्रारूप – JPG/Png/PDF

💡 प्रखंड में साक्षात्कार के दौरान देखा की कई प्रखंड अधिकारी दस्तावेज का हार्ड कॉपी को प्राथमिकता देते हैं – पावती रसीद (acknowledgement receipt) के साथ आधार कार्ड का प्रति और अन्य दस्तावेज (refer table 5) – ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें की वास्तविक आवेदन किया गया है। इसलिए, दस्तवेजों हार्ड कॉपी/प्रति जामा करने का यह अच्छा रिवाज/अभ्यास है।

Table 2.3 : अन्य तरह के आवेदन करते वक़्त दस्तावेज की सारणी

आवेदन का प्रकार	विवरण	ज़रूरी दस्तावेज़	अन्य दस्तावेज
नया राशन कार्ड	<ol style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत विवरण बैंक विवरण समावेशन और अपवर्जन मानक के लिए विवरण परिवार के सदस्यों का व्यक्तिगत विवरण परिवार के कम से कम एक सदस्य का मोबाइल नंबर 	<ol style="list-style-type: none"> अपलोड करने के लिए आधार का स्कैन कॉपी (jpg/png) 	<ol style="list-style-type: none"> PVTG/ ST/SC प्रमाणपत्र, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है लेकिन इसे अपलोड करना सबसे अच्छा रहेगा। आवेदक मांगे जाने पर मुखिया से सत्यापन का दस्तावेज भी दे सकता है। मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि आवेदक विधवा है)। यदि मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो मुखिया से सत्यापन दस्तावेज। विकलांगता प्रमाण पत्र, (विकलांगता के मामले में) गंभीर बीमारी की स्थिति में

आवेदन का प्रकार	विवरण	जरूरी दस्तावेज़	अन्य दस्तावेज
			मेडिकल सर्टिफिकेट 5. पेट्रोल सब्सिडी जैसी किसी अन्य सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए बैंक पासबुक
मौजूदा राशन कार्डों में सदस्यों को जोड़ना *एक समय में केवल एक ही सदस्य जोड़ा जा सकता है।	<ol style="list-style-type: none"> 1. ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो 2. व्यक्तिगत विवरण 3. कार्ड धारक से संबंध 4. मोबाइल नंबर 5. अतिरिक्त विवरण (प्राथमिकता सूची के लिए) 6. आधार नंबर 7. बैंक विवरण (वैकल्पिक) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अपलोड करने के लिए नए सदस्य का आधार का स्कैन कॉपी (jpg/png) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. यदि आवश्यक हो तो PVTG/SC/ST प्रमाणपत्र। 2. मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि आवेदक विधवा है)। यदि मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो मुखिया से सत्यपान प्रमाण पत्र प्राप्त करें। 3. विकलांगता प्रमाण पत्र, (विकलांगता के मामले में) 4. गंभीर बीमारी की स्थिति में मेडिकल सर्टिफिकेट
डीलर बदलना	<ol style="list-style-type: none"> 1. ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो 2. नए डीलर का नाम 	<ol style="list-style-type: none"> 1. डीलर परिवर्तन के लिए स्व-घोषणा पत्र। 	
मोबाइल नंबर बदलना	<ol style="list-style-type: none"> 1. ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो 2. उस सदस्य का नाम जिसका मोबाइल नंबर बदला जाना है 3. ओटीपी के लिए मौजूदा मोबाइल नंबर 	<ol style="list-style-type: none"> 1. मोबाइल नंबर के लिए स्व-घोषणा पत्र। परिवर्तन 	


आवेदन का प्रकार	विवरण	ज़रूरी दस्तावेज़	अन्य दस्तावेज़
सदस्य का स्थानांतरण	<ol style="list-style-type: none"> ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो सदस्य का नाम दोनों राशन कार्ड का नंबर नए राशन कार्ड के मुखिया के साथ संबंध का विवरण 		
आधार सीडिंग/आधार संख्या में परिवर्तन	<ol style="list-style-type: none"> ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो उस सदस्य का नाम जिसका आधार नंबर बदला जाना है सही आधार नंबर 	<ol style="list-style-type: none"> आधार परिवर्तन/सुधार के लिए स्व-घोषणा। सदस्य के आधार की स्कैन की गई प्रति 	
नाम में सुधार: स्वयं/पिता/पति/माता का	<ol style="list-style-type: none"> ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो परिवर्तित नाम 	<ol style="list-style-type: none"> नाम सुधार के लिए स्व-घोषणा पत्र। स्कूल प्रमाणपत्र/आधार/नोटरीकृत दस्तावेज़ 	
राशन कार्ड के मुखिया का परिवर्तन	<ol style="list-style-type: none"> ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो व्यक्ति का नाम जो नए राशन कार्ड के मुखिया हैं अन्य सदस्यों के साथ संबंध 	<ol style="list-style-type: none"> राशन कार्ड के मुखिया में परिवर्तन के लिए स्व-घोषणा प्रपत्र। 	

आवेदन का प्रकार	विवरण	जरूरी दस्तावेज़	अन्य दस्तावेज़
राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम हटवाना	<ol style="list-style-type: none"> 1.ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो 2.सदस्य का नाम जिनको राशन कार्ड से हटवाना है 3.हटवाने का कारण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. कारण अंकित करते हुए सदस्य को हटाने हेतु स्व-घोषणा प्रपत्र। 	मृत्यु के मामले में, प्रसंस्करण के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है
राशन कार्ड सरेंडर करना	<ol style="list-style-type: none"> 1. ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो 2. सरेंडर करने का कारण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. राशन कार्ड सरेंडर करने हेतु स्व-घोषणा पत्र। 	
लिंग सुधार	<ol style="list-style-type: none"> 1. ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो 2. सदस्य का नाम 3. सही लिंग 	<ol style="list-style-type: none"> 1. लिंग सुधार के लिए स्व-घोषणा प्रपत्र 	
किसी सदस्य का मुखिया के साथ संबंध में सुधार	<ol style="list-style-type: none"> 1. ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो 2. सदस्य का नाम जिनका सुधार करवाना है 3. राशन कार्ड के मुखिया के साथ सही संबंध 	<ol style="list-style-type: none"> 1. संबंध परिवर्तन के लिए स्व-घोषणा प्रपत्र 	
जनम तिथि में सुधार	<ol style="list-style-type: none"> 1. ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो 2. सदस्य का नाम 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जन्मतिथि परिवर्तन के लिए स्व-घोषणा प्रपत्र 	

आवेदन का प्रकार	विवरण	ज़रूरी दस्तावेज़	अन्य दस्तावेज़
	3. सही जन्म तिथि		

नोट: व्यक्तिगत विवरण में नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, घर के मुखिया के साथ संबंध, पता, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, जाति श्रेणी शामिल हैं।

Fig 2.2 राशन कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया



💡 ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें

- आवेदन के बाद एकनोलेजमेंट (पावती) संख्या के साथ दस्तावेजों की एक प्रति सत्यापन के लिए ब्लॉक कार्यालय में जमा की जा सकती है।
- एकनोलेजमेंट (पावती) संख्या की एक प्रति अपने साथ सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आवेदन को ट्रैक करने और रसीद के रूप में उपयोग करने में मदद करेगी। आवेदक RCMS में पावती संख्या या राशन कार्ड संख्या (नए राशन कार्ड के आवेदन को छोड़कर) के माध्यम से अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। (MIS में [Sl no. 13 का संदर्भ लें](#))
- सदस्य जोड़ने के आवेदनों में, DSO द्वारा स्वीकृति के बाद, ज्यादातर आवेदन प्रतीक्षा सूची में रखे जाते हैं और NFSA कार्ड के कोटा में जगह खाली होने के बाद राशन कार्ड में जोड़े जाते हैं।

2.1.2 आवेदनों के स्वीकृति/अस्वीकृति की समय-सीमा

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न प्रकार के आवेदनों को मंजूरी मिलने में अलग-अलग समय लगता है।

PDS Control order 2022(section 8(viii) और झारखंड सेवा का अधिकार गारंटी (RTGS ACT.) अधिनियम के अनुसार, नए राशन कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया में 60 दिन लगने चाहिए।

Table 2.4: आवेदनों के स्वीकृति/अस्वीकृति की समय-सीमा

मुद्दा	जिम्मेदार ऑफिसर	समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं समय सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
नये राशन कार्ड आवेदन पर निर्णय	निर्णय लेने हेतु अनुमंडल अधिकारी या सक्षम पदाधिकारी (BSO/DSO)	60 दिन	उपायुक्त 21 दिन	प्रमंडल आयुक्त 15 दिन
पते में परिवर्तन (लेकिन डीलर के क्षेत्र के भीतर)	(BSO/DSO)	2 दिन	-	-
डीलर में बदलाव के साथ-साथ पते में भी बदलाव	(BSO/DSO)	7 दिन	-	-

Source- [RTGSA jharkhand, Citizen Charter 2015](#)

हालाँकि इस अधिनियम में अन्य आवेदनों की समय-सीमा का कोई उल्लेख नहीं है।

- मौजूदा NFSA कार्डों में सदस्य जोड़ने के आवेदनों की मंजूरी में ज्यादा समय लगता है। DSO की मंजूरी के बाद भी, दोनों NFSA कार्ड – लाल और पीला कार्ड में मौजूदा कोटा में रिक्ति की कमी के कारण सदस्यों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है। प्रतीक्षा सूची अपने आप [प्राथमिकता सूची](#) (प्राथमिकता सूची के लिए नीचे देखें) के अनुसार संचालित होती है, इसलिए यदि आवेदक किसी भी सूची के श्रेणी में आता है, तो उन कार्ड के सदस्यों को दूसरों की तुलना में तेजी से जोड़ते हैं।
- ग्रीन राशन कार्ड का लाल या पीला कार्ड में परिवर्तन- कोटा में जगह खाली होने पर ग्रीन राशन कार्ड को लाल या पीला कार्ड में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिकता के अनुसार पोर्टल में एक सूची तैयार की जाती है और DSO द्वारा मंजूरी के बाद NFSA कार्ड में परिवर्तित कर दी जाती है।
- आहार पोर्टल के अनुसार, सूची तैयार की जाती है और NFSA कार्ड के लिए कोटा के अनुसार वैकेन्सी भरी जाती हैं, जहां 75% वैकेन्सी ग्रीन कार्ड आवेदनों से भरी जाती हैं और शेष 25% सदस्य जोड़ने के आवेदनों से भरी जाती हैं।
- झारखंड ने कुछ ऐसे वर्गों की पहचान की है जो अधिक असुरक्षित और हाशिए पर रह रहे हैं। राज्य सरकार ने इन समुदायों का प्राथमिकता सूची बनाया है जिसके अनुसार जैसे ही NFSA का कोटा खाली होता है वैसे ही हरे राशन कार्डों को लाल राशन कार्डों में परिवर्तित किया जाता है, लाल राशन कार्ड को पीला राशन कार्डों में परिवर्तित किया जाएगा और मौजूदा लाल और पीला राशन कार्डों में नए नाम जोड़े जाते हैं। इस प्रकार नीचे दी गई प्राथमिकता सूची है जो झारखंड राज्य पालन करती है। आवेदन करते समय, यदि कोई पात्र आवेदक (अगर वे अपात्र मापदंड से बाहर आते हैं) एक या एक से अधिक प्राथमिकता श्रेणी में आते हैं, तो आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय श्रेणी के सामने निशान लगाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए [\(MISSI.9 में देखें\)](#)

Fig 2.3 प्राथमिकता सूची

Source- PDS
Control Order
2022, ref. sec4(ii)
& appendix 4

2.2 आवंटन, उठाव एवं वितरण

आवेदन होने और राशन कार्ड नंबर आने के 2 महीने बाद ही राशन मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीच में कई प्रक्रिया होते हैं जैसे खाद्यान्न के आवंटन की योजना बनाना, FCI गोदामों से उठाव करना और खाद्यान्न को FCI गोदाम से ब्लॉक तक डीलर तक पहुंचाना। राज्य और जिलों के भीतर खाद्यान्नों की आवाजाही के लिए भी कई हितधारक (stakeholder) जिम्मेदार हैं। ये प्रक्रियाएं मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी हैं और खर्च केंद्र और राज्य दोनों द्वारा पूर्व निर्धारित अनुपात में साझा किया जाता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऊपर उल्लिखित सभी प्रक्रियाएं दिगितालीकरण के कार्यान्वयन के साथ समय के साथ बदल गईं।

2.2.1 सप्लाई चेन और वितरण में एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण का प्रभाव

प्रारंभिक चरण के दौरान जब प्रत्येक राज्य ने इस योजना को चरणों में लागू करना शुरू किया, तो झारखंड सरकार ने भी विभिन्न गतिविधियाँ शुरू कीं। अन्य महत्वपूर्ण सुधार थे:

i. डीलर दुकानों का स्वचालन ii. सप्लाई चेन का कम्प्यूटरीकरण

i. डीलर दुकानों का स्वचालन: चरणों में EPOS मशीनें पी.डी.एस दुकानों में स्थापित की गई हैं (पहले पायलट क्षेत्रों में और धीरे-धीरे राज्य के बाकी हिस्सों में विस्तारित किया गया)। इसके साथ ही कार्डधारकों को अपने आधार को राशन कार्ड डेटाबेस के साथ जोड़ने का प्रक्रिया और अपना राशन इकट्ठा करने के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (ABBA) का उपयोग करना होगा।

ii. सप्लाई चेन का कम्प्यूटरीकरण: नीचे दी गई Table 2.4 में खाद्यान्नों की आवाजाही पर चर्चा करने वाले सभी कार्य कम्प्यूटरीकृत हैं। प्रत्येक डीलर का आवंटन, आवंटन के महीने से 4 महीने पहले डीलर के समापन शेष के आधार पर तय किया जाता है।


2.2.2. आवंटन की प्रक्रिया

- ज़िला वार आवंटन स्टोर इशू आर्डर (SIO) के माध्यम से किया जाता है जो की राज्य स्तर पर बनता है। SIO एक ऐसा आदेश है जो यह विवरण देता है कि किसी जिले में कितना खाद्यान खरीदा जाना है। इसे डीलर के अनुसार तैयार किया जाता है और ब्लॉक और जिला स्तर पर एकत्रित किया जाता है।
- यह प्रक्रिया आवंटित महीने के 2 महीने पहले से शुरू हो जाता है। हर डीलर को कितना राशन आवंटन होना है इसका तय 2 महीने पहले के कार्डधारियों की सूची के अनुसार बनता है जिसमें 5 महीने पहले का कोई भी बचा हुआ stock को घटाकर SIO तयार हो जाता है।

उदाहरण के लिए मई 2024 के आवंटन के लिए, मार्च 2024 में राशन कार्डों/सदस्यों की संख्या और दिसंबर 2023 के क्लोजिंग स्टॉक को घटाकर मार्च 2024 का SIO तयार किया जाता है (डीलर-वार, एकत्रित ब्लॉक-वार और जिला-वार) उत्पन्न किया जाएगा।

- यह SIO आगे DSO द्वारा मंजूरी देने के बाद खाद्यान का उठाव की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

Fig 2.4 खाद्यान उठाव, परिवहन एवं सपलाई चेन



Source- [PDS control order\(Sec 23\)](#), [Order on Online allocation of the foodgrains2013](#), interview with the stakeholders

JFSCSL-झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (Jharkhand State food and Civil Supplies Corporation Limited)

2.2.3 राशन वितरण

डीलर ePOS मशीन की मदद से राशन वितरित करता है जो वजन मापने वाली मशीन से जुड़ा होता है। ऐसे 2 तरीके हैं जिनके माध्यम से राशन वितरित किया जा सकता है:

1. ऑनलाइन मोड (वास्तविक समय मोड)
2. ऑफलाइन मोड

1.ऑनलाइन मोड (रियल टाइम मोड): यह मोड झारखंड में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, Epos वास्तविक समय में काम करता है, यानी जब भी व्यक्ति खुद को प्रमाणित करता है (प्रमाणीकरण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से), लेन-देन के समय ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है और Epos मशीन के माध्यम से PDS सर्वर पर अपलोड किया जाता है। इस मोड के लिए लगातार इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है।

2. ऑफ़लाइन मोड- यहां राशन ऑफ़लाइन वितरित किया जाता है, यानी लेनदेन होने पर कोई Epos मशीन का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है। बाद में इन लेन-देन को EPOS मशीन के माध्यम से PDS सर्वर में अपलोड किया जाता है। महीने के अंत में, डीलर को सभी लेनदेन अपलोड करना होगा और इसे अपने बायोमेट्रिक के माध्यम से प्रमाणित करना होगा। कुछ ब्लॉकों में डाकिया योजना का राशन इसी माध्यम से वितरित किया जाता है ePos मशीन कैसे काम करता है जानने के लिए [यहां क्लिक करें](#)।

दिन के अंत में जब डीलर अपनी दूकान बंद करता है तो epos में close session के साथ समाप्त करता है।

2.2.3.1 प्रमाणीकरण की प्रक्रिया

ऐसे विभिन्न तरीके हैं जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति लेनदेन को प्रमाणित कर सकता है। सरकार प्रमाणीकरण के लिए आधार सेवाओं का व्यापक रूप से उपयोग करती है। ये हैं -

1. फिंगरप्रिंट के माध्यम से आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण।
2. IRIS आखों की पुतली का स्कैन आधारित प्रमाणीकरण (UIDAI का उपयोग करके)।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होने पर ऐसे मामलों में प्रमाणीकरण के वैकल्पिक तरीके भी उपलब्ध हैं। ये हैं -

3. OTP (UIDAI के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर)

हालाँकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि बायोमेट्रिक्स / OTP काम नहीं करता है तो डीलर किसी वास्तविक व्यक्ति को उसका हक देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। अतः अंतिम उपाय के रूप में डीलर अपवाद के माध्यम से भी राशन दे सकता है।

2.2.3.2 अपवाद/Exception रजिस्टर क्या है?

राशन वितरण के दौरान किसी व्यक्ति का बायोमेट्रिक्स एवं प्रमाणीकरण करते वक़्त जब अन्य वैकल्पिक तरीके काम नहीं करने पर डीलर अपवाद पंजी में पंजीकरण करा कर राशन दे सकता है। हालाँकि, डीलर अब इसे अपने विवेक से नहीं कर सकता है, बल्कि उसे BSO के माध्यम से जिला अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। DSO से अनुमोदन के बाद यह रजिस्टर 3-4 महीने तक मेंटेन किया जाता है। इन महीनों के दौरान डीलर अपवाद के माध्यम से हक धारकों को राशन दे सकता है, यानी उन्हें फिंगरप्रिंट देने या प्रमाणीकरण के किसी अन्य तरीके की आवश्यकता नहीं है। इसका रखरखाव जिला स्तर पर किया जाता है। राज्य ने अपवाद के तहत किए जाने वाले लेनदेन के प्रतिशत पर एक सीमा निर्धारित की है।

Table 2.5 बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सफल प्रमाणीकरण के लिए चेकलिस्ट

धारक	<ul style="list-style-type: none"> ✓ सदस्यों के आधार को राशन कार्ड से जोड़ा जाना। (आधार सीडिंग) ✓ बायोमेट्रिक PDS डाटाबेस और आधार के डाटाबेस से मैच होना चाहिए, इसलिए समय समय पर बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना चाहिए।
डीलर/उचित मूल्य की दुकान	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EPOS मशीन को चार्ज करने के लिए बिजली। ✓ इंटरनेट/नेटवर्क उपलब्धता

सफल आधार सीडिंग के लिए आधार डेटाबेस में व्यक्ति के नाम का पीडीएस डाटाबेस में नाम से मेल खाना आवश्यक है

💡 ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें-

- आवंटित महीने का स्टॉक प्राप्त होने के बाद - डीलर खाद्यान्न वितरित कर सकता है।
- डीलर आमतौर पर हर महीने की 1 से 5 तारीख तक बंद रहते हैं। इस अवधि में वे अपना ePOS बंद कर देते हैं।
- डीलर को प्रतिदिन (अन्तरगत घोषित अवकाश एवं साप्ताहिक बंदी के अलावा) सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुला रहना चाहिए। राशन दुकान कम से कम 6 घंटे के लिए खुला रहना चाहिए। (श्रोत: PDS control order 21.(i))
- आधार सीडिंग की सुविधा डीलरों के पास उपलब्ध है। हालाँकि ये कभी कभी पूर्ण रूप से नहीं चलता है। हकदार इसके बारे में डीलर से जानकारी ले सकते हैं।
- डीलर अपने साथ राशन कार्ड का कॉपी नहीं रख सकता। ये कार्डधारी का हक है की राशन कार्ड कॉपी अपने साथ ही रखें
- राशन लेते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए की डीलर सही नाप से खाद्यान्न का तोल के ही राशन दे रहा हो।
- प्रमाणीकरण के बाद तुरंत उसी दिन ही राशन मिलना चाहिए। और epos से निकला स्पील भी अपने पास रखना चाहिए।
- PDS Control Order 2022 के अनुसार, हकदार किसी विशेष माह का राशन अगले माह भी ले सकते हैं¹।

2.3 सत्यापन और निगरानी

PDS Order 2022 (sec 5.iii) के अनुसार अधिकारियों को eKYC के माध्यम से PDS डेटाबेस में प्रत्येक हकदार को सत्यापित करना होगा। इसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जा सकता है कि व्यक्ति जीवित है या नहीं, या अभी भी वह पात्र है या नहीं। वह प्रक्रिया साल में एक बार करने का वर्णन किया हुआ है।

¹ हालांकि डीलर अगले महीने कितनी अवधि तक राशन बांट सकते हैं, यह राज्य सरकार तय करती है।

PDS control order 2022 sec6(X) के अनुसार, जिला या उच्च अधिकारी, कुछ परिस्थितियों में परिवार और पंचायत प्रतिनिधियों (मुखिया या वार्ड सदस्य) को उनके मुद्दे को समझने और सत्यापित करने के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं। संबंधित BSO द्वारा उचित सत्यापन के बाद, जिला अधिकारियों द्वारा राशन कार्ड डिलीट किए जा सकते हैं। ये परिस्थिति हैं-

1. यदि कार्ड धारक का परिवार अपवर्जन मानदंड/अपात्र मापदंड के अंतर्गत आता है।
2. यदि पिछले छह महीने या उससे अधिक समय में राशन नहीं उठाया गया है
3. यदि सदस्य की मृत्यु हो गई हो.
4. यदि कार्डधारक ने स्वयं अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है
5. डुप्लीकेट राशन कार्ड के मामले में

सतर्कता समिति

NFSA धारा 29 के अनुसार, पीडीएस की पारदर्शिता और उचित कार्यप्रणाली और ऐसी प्रणाली में पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य, जिला, ब्लॉक और डीलर स्तर पर सतर्कता समितियां स्थापित करने का प्रावधान है। सतर्कता समिति से तीन मुख्य कार्य करने की अपेक्षा की जाती है :

- (a) अधिनियम के तहत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करना।
- (b) किसी भी मुद्दे को जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ लिखित सूचना DGRO को देना
- (c) धन राशि का दुरुपयोग के मामलों में हस्तक्षेप करना ।

समिति में NFSA अधिनियम के तहत योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए काम करने वाले विभिन्न विभागों के कई लोग शामिल हैं। जन प्रतिनिधि के सदस्य, विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधि, सांसद/विधायक, संबंधित विभागों के संबंधित अधिकारी, SC/ST, विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

इन समितियों को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3 महीने में एक बार बैठक करनी चाहिए, जिसमें वह अनेक प्रकार के मुद्दे जैसे अनियमित राशन वितरण या कटौती आदि के ऊपर चर्चा किया जाता है और आगे के कारवाही के लिए ।

झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, धारा 75 (27); धारा 76 (xxvi); धारा 77 (xxv), सभी तीन स्तरों की पंचायतों को अधिकारों के वितरण की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए समिति बनाने की शक्ति दिया गया है है और पीडीएस को कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर देखरेख किया जा सकता है।

2.4 शिकायत निवारण

NFSA में पारदर्शिता और शिकायत निवारण के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। यह सभी राज्यों को जिला शिकायत निवारण अधिकारियों (DGRO) और राज्य खाद्य आयोग को शामिल करते हुए अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए प्रभावी दो स्तरीय प्रणाली स्थापित करने का आदेश देता है। बाद के अध्यायों(आध्याय 4) में अधिक विस्तृत उल्लेख किया गया है।

अध्याय 3 : समस्या समाधान

इस अध्याय में हम कुछ मुख्य मुद्दों को देखते हैं जो राशन पात्रता प्राप्त करने में अनुभव होते हैं। हमने इन् मुद्दों को दो भाग में बांटा है -

1. राशन कार्ड से संबंधित मुद्दे
2. राशन वितरण से संबंधित मुद्दे

3.1. राशन कार्ड से संबंधित मुद्दे

1. कैसे और कहां आवेदन करना है, इसके बारे में जानकारी का अभाव - जिसमें नए कार्ड के लिए आवेदन करना, कार्ड में परिवार के सदस्यों को जोड़ना या हटाना और अन्य प्रकार के आवेदन शामिल हैं।
2. दस्तावेजों की कमी - आधार कार्ड, जो डीलर परिवर्तन, नाम/पता सुधार, सदस्य स्थानांतरण, मोबाइल नंबर अपडेशन आदि जैसे नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए अनिवार्य है, और अन्य दस्तावेज जो अनिवार्य नहीं हैं लेकिन प्राथमिकता प्राप्त करने में मदद करते हैं। विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवाओं के लिए), बैंक खाते की कमी, और गंभीर बीमारी का प्रमाण आदि।
3. इनमें से किसी भी किसम का आवेदन जो लंबे समय से पेंडिंग या अस्वीकृत हो गया हो।
4. **OTP** या आधार के संबंध में - जैसे OTP के कारण लॉगिन समस्याएं, गलती में एक व्यक्ति का आधार दूसरे राशन कार्ड में जुड़ जाना।

अन्य समस्याएं-

5. मेरे पास राशन कार्ड की कॉपी नहीं है इसलिए मैं राशन नहीं ले सकता।
6. नए राशन कॉपी के लिए डीलर/वार्ड सदस्य/बिचौलियों द्वारा पैसा मांगा गया है।
7. मैं अपना राशन कार्ड का बंटवारा करना चाहता हूँ।
8. मेरा राशन कार्ड मेरी जानकारी के बिना हटा दिया गया है।

3.2 राशन वितरण से संबंधित मुद्दे

1. राशन लेते समय अंगूठा/फिंगर काम नहीं करना या राशन कार्ड के साथ आधार का लिंक नहीं होना /सीडिंग नहीं होना
2. राशन लेते समय फिंगर प्रिंट स्वीकार नहीं होना / बायोमेट्रिक विफल होना

3. डीलर बायोमैट्रिक के लिए एक दिन बुलाते हैं और कुछ दिन बाद राशन लेने को कहा जाता है
4. नेटवर्क/बिजली की समस्या के कारण डीलर द्वारा राशन देने से इनकार करना
5. अपने हक से कम राशन मिलना

अन्य मुद्दे वितरण के संबंध में -

6. हरा राशन कार्ड में खाद्यान वितरण में अनियमिता
7. ONORC के तहत कार्डधारियों को राशन उपलब्ध कराने से डीलर द्वारा इनकार।
8. खाद्य सुरक्षा भत्ता क्या है और इसका दावा कैसे करें?
9. मैं किसी महीने का राशन नहीं ले पाया क्योंकि मैं गांव में नहीं था। क्या मैं अगले महीने पिछले महीने और इस महीने एकसाथ राशन ले सकता हूँ?
10. इस राशन कार्ड में मैं अकेला व्यक्ति हूँ और मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं राशन डीलर के पास राशन लेने नहीं जा पा रहा हूँ।

निम्नलिखित तालिकाओं में हम उल्लिखित मुद्दों का समाधान करते हैं और समाधान के लिए चरण प्रदान करते हैं।

3.1. राशन कार्ड से संबंधित मुद्दे

3.1.1 कैसे और कहां आवेदन करना है, किस तरह के आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी का अभाव

मुद्दा	समाधान/हल
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन/नए सदस्य जोड़ने के लिए कैसे और कहां जाना है, इसकी जानकारी नहीं है	<p>हकदार को पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करें</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पात्रता मापदंड की जाँच करें - यदि वह आयोगिता मापदंड से बाहर आते हैं, तो वह पात्र हैं। 2. जांचें कि क्या वे प्राथमिकता सूची के किसी भी सूची में आते हैं। यदि वे एक से अधिक मानदंड में आते हैं तो यह आवेदन के समय चयन कर सकते हैं। उसे प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ को RCMS में अपलोड करने के लिए प्रावधान हैं। 3. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों और विवरणों की जांच यहां करें (या अध्याय 2, Table 2.3 देखें)। 4. आवेदक RCMS पोर्टल में स्वयं आवेदन कर सकते (MIS Sl. no 9 और 12 देखें) हैं या प्रजा केंद्र या ब्लॉक कार्यालय में जा सकते हैं। कभी-कभी आवेदन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर (वर्ष में एक बार) शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। 5. नोट - आधार और अन्य दस्तावेज़ों के साथ आवेदन संख्या की हार्डकॉपी ब्लॉक कार्यालय में जमा की जा सकती है। 6. आवेदन सफलतापूर्वक हो जाने के बाद रिसीविंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसका उपयोग एप्लिकेशन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।

मुद्दा	समाधान/हल	टिपण्णी
सदस्य का दूसरे राशन कार्ड में स्थानांतरण	<p>आवेदन RCMS के माध्यम से किया जा सकता है।</p> <p>आवश्यक चीज़ें :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OTP लॉगिन के लिए राशन कार्ड के मुखिया का मोबाइल नंबर 2. सदस्य का नाम 3. दोनों राशन कार्ड का विवरण - पहले का राशन कार्ड और जहाँ स्थानांतरण किया जा रहा है वहाँ का राशन कार्ड 4. नए राशन कार्ड के मुखिया के साथ संबंध का विवरण <p>प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए MIS Sl. 12. pg 31 देखें</p>	<p>यह देखा गया है कि RCMS में सदस्य विकल्प का स्थानांतरण पूरी तरह से काम नहीं करता है - RCMS पोर्टल में इस सेवा होने के बावजूद क्या इसमें आये आवेदन असल में पारित हो रहे हैं या नहीं, यह पुष्टि करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है।</p> <p>इस स्थिति में राज्य खाद्य आयोग में शिकायत किया जा सकता है।</p>

<p>डीलर बदलना</p>	<p>1. उस डीलर की दुकान का ऑफिसियल (औपचारिक) नाम जानें जहां आवेदक अब राशन लेना चाहते हैं</p> <p>2. स्व-घोषणा पत्र भरें</p> <p>RCMS में ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए MIS देखें - (MIS Sl.12.pg 29)</p>	
<p>अन्य आवेदन जैसे राशन कार्ड से सदस्य हटाना, मोबाइल नंबर सुधार, मुखिया में बदलाव, आधार सुधार और परिवर्तन आदि।</p>	<p>RCMS में अन्य प्रकार के आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए MIS Sl. 12, p 23-27 देखें</p> <p>1. राशन कार्ड में आधार सुधार 2. मोबाइल सुधार 3. नाम सुधार 4. परिवार के मुखिया में परिवर्तन 5. राशन कार्ड सरेंडर 6. राशन कार्ड से सदस्य का नाम हटवाना</p> <p>अध्याय 2, Table - 2.3 संख्या से आवश्यक दस्तावेजों की सूची देखें।</p>	<p>यह देखा गया है की आधार सुधार के लिए दिए गये एप्लीकेशन काफी बार पेंडिंग में रह जाता है। इसके लिए आधार सुधार का के लिए DSO को पत्र लिखा जा सकता है।</p>

3.1.2 दस्तावेज की कमी

मुद्दा	समाधान
--------	--------

<p>आधार का न होना</p> <p>*नया राशन कार्ड बनवाने या नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने के लिए आधार अनिवार्य है</p>	<p>1. सहायक दस्तावेजों के साथ निकटतम आधार सेंटर पर जाएँ। नया आधार बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की ज़रूरत पड़ता है -</p> <p>a. Proof of Identity (POI) जिसमें नाम और फोटो हो: पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सेवा फोटो आईडी कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र या ID, मनरेगा जॉब कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ट्रांसजेंडर आई.डी कार्ड, किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट या प्रमाणपत्र)। यदि व्यक्ति के पास ऐसी कोई आईडी नहीं है, तो वे व्यक्ति की विधिवत सत्यापित तस्वीर के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी एक पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।</p> <p>b. Proof of Address (POA): इसमें MP /MLA /नगर निगम पार्षद/गुप ए या गुप बी राजपत्रित अधिकारी/ईपीएफओ अधिकारी/तहसीलदार, ग्राम पंचायत मुखिया या पंचायत सचिव द्वारा मानक यूआईडीएआई प्रारूप पर जारी कोई भी प्रमाण पत्र शामिल है जिसमें आवेदक का पता, कोई उपयोगिता बिल (पानी, बिजली) शामिल है।, गैस, फोन) 3 महीने से अधिक पुराना नहीं, कोई संपत्ति या नगर पालिका कर रसीद, वैध पंजीकृत बिक्री समझौता, बैंक खाता या डाकघर बचत बैंक खाता विवरण, या राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा जॉब कार्ड।</p> <p>5 साल से अधिक लेकिन 18 से कम उम्र के बच्चों जो पात्र हैं लेकिन आधार की कमी के कारण अपने परिवार के राशन कार्ड में अपना नाम नहीं जोड़ पा रहे हैं, वे नीचे दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं का पालन कर सकते हैं।</p> <p>a. जो बच्चे 5 साल से ऊपर और 18 साल से कम उम्र के हैं, वे <u>फॉर्म नंबर 3</u> भरें। नामांकन <u>दस्तावेज के आधार पर</u> या परिवार के मुखिया के नामांकन के माध्यम से किया जा सकता है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. दस्तावेज़ आधार नामांकन की आवश्यकता है- पहचान का प्रमाण (POI) और पते का प्रमाण (POA) दें जो ऊपर लिखा गया है। 2. यदि आवेदक के POI और POA दस्तावेज नहीं हैं तो मुखिया के नामांकन का उपयोग किया जाएगा। परिवार के मुखिया (HoF) आधारित नामांकन का उपयोग सबसे करीबी परिवार जैसे माँ-बाप या गार्डियन के साथ किया जाएगा जिनका नाम रिश्ते के प्रमाण दस्तावेज़ जैसे जन्म प्रमाण पत्र, ST /SC प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट में दर्ज है। -जो माँ/पिता के आधार में पता लिखा होगा वही पता को दर्ज किया जायेगा <p>5 साल से कम उम्र के बच्चों का भी आधार बनवा सकता है। इसमें सिर्फ करीबी परिवार जैसे माँ/पिता के द्वारा नामांकन का उपयोग तत्काल परिवार के सदस्यों के लिए किया जाएगा, जिनके नाम जन्म प्रमाण पत्र जैसे रिश्ते के प्रमाण दस्तावेज़ में दर्ज हैं।</p> <p>-बच्चे का केवल जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम, लिंग और तस्वीर एकत्र की जाती है।</p> <p>-माता-पिता/अभिभावक दोनों का नाम और आधार नंबर और माता-पिता में से किसी एक का बायोमेट्रिक्स</p>
---	---

	<p>विवरण आवश्यक है।</p> <p>5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार नामांकन और अपडेट करने के लिए फॉर्म 5 इस्तेमाल होगा। साल की उम्र होने पर माता-पिता को अपने बच्चों का आधार अपडेट कराना होगा, ऐसा न करने पर आधार अमान्य हो जाएगा।</p> <p><u>कुछ विवरण जिन्हें उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है वे हैं -</u></p> <p>बायोमेट्रिक्स विवरण (फिंगरप्रिंट, फोटो और आईरिस) परिवर्तन 5-7 वर्ष की आयु के बीच एक बार और 15-17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया जा सकता है। 18 वर्ष की आयु से पहले बायोमेट्रिक्स अपडेट करने में कोई शुल्क नहीं लगता है।</p>
--	---

3.1.2.1 अन्य दस्तावेज :

मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिला के लिए), विकलांगता प्रमाण पत्र, मुखिया से सत्यापित प्रमाण पत्र (निराश्रित महिला के लिए), जाती प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए): ध्यान रखें की ये प्रमाण पत्र सिर्फ प्राथमिकता के लिए हैं और इनके न होने पर राशन कार्ड का आवेदन रिजेक्ट (अस्वीकृत) नहीं हो सकता। लेकिन प्राथमिकता सूची में रहने पर जल्दी कार्ड बनवाने के लिए प्राथमिकता प्रमाण जरूर अपलोड या जमा करें।

<p>मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने पर</p> <p>*सिर्फ प्राथमिकता के लिए</p>	<p>मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:</p> <p>आवासीय प्रमाण, रिश्ते का प्रमाण, मृत्यु का सही स्थान, तारीख और समय बताने वाला एक एफिडेविट।</p> <p>पति की मृत्यु को कितने दिन बीत चुके हैं उसके आधार पर आवेदन करने की प्रक्रिया:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-25 दिन: मृत्यु प्रमाण पत्र सीधे पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। - 26 दिन - 1 वर्ष: मृत्यु प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। - 1 वर्ष के बाद: प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन पत्र लिखना होगा। आवेदन पर पंचायत मुखिया का हस्ताक्षर कर प्रखंड को भेजा जायेगा। बी.डी.ओ इस पर हस्ताक्षर कर जिला को भेजेंगे। जिला से अनुमोदन के बाद आवेदन को एस.डी.ओ के पास भेज दिया जाता है। एस.डी.ओ ब्लॉक को एक आदेश जारी करता है और फिर ब्लॉक स्तर पर प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 महीने का समय लगता है।
--	---

<p>विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं होने पर</p> <p>*सिर्फ प्राथमिकता के लिए</p>	<p>पहला कदम -</p> <p>दिव्यांग व्यक्ति को इसके लिए ज़िला अस्पताल जाना होगा जहाँ मेडिकल ऑफिसर परीक्षण करके विकलांगता का प्रतिशत तय करेंगे और इसके आधार पर विकलांगता प्रमाण पत्र बनेगा</p> <ul style="list-style-type: none"> - विकलांग व्यक्ति जो अकेले रहते हैं और उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है, वे पंचायत कर्मों से उनके साथ जिला अस्पताल जाने का अनुरोध कर सकते हैं। - कभी कभी ग्राम स्तर में विकलांगता परीक्षण के लिए कैंप भी लगाये जाते हैं और लोगों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। - लातेहार में मंगलवार और शनिवार में मेडिकल ऑफिसर उपस्थित होते हैं। <p>दूसरा कदम -</p> <p>यदि विकलांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो तो इस प्रमाण पत्र के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज और आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक ऑफिस (प्रखंड पदाधिकारी) और शहरी क्षेत्र में आँचल पदाधिकारी को जमा करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> - यदि ब्लाक ऑफिस जाना संभव नहीं हो पता है तो पंचायत कर्मों जैसे पंचायत सेवक, आंगनवाड़ी दीदी या ग्राम मुखिया को भी दे सकते हैं जो आगे ब्लाक में आगे दे देंगे। <p>यदि अन्य आवश्यक दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, वोटर id) उपलब्ध न हो तो निचे दिए गये दस्तावेज भी आवेदन में दिया जा सकता है</p> <ul style="list-style-type: none"> - डाक विभाग द्वारा जारी किया पोस्ट ऑफिस ID कार्ड - जाती एवं निवास प्रमाण पत्र - फोटो और पता संयुक्त KISAN पासबुक या विधायक/संसाद/गुप-A गज़ेतेद ऑफिसर द्वारा जारी किया गया पहचान और पता का प्रमाण - पंचायत के मुखिया द्वारा जारी फोटो आईडी प्रमाण पत्र - फोटो सहित राशन कार्ड भी दिया जा सकता है।
<p>एकल महिला/परित्यक्त महिला होने का प्रमाण नहीं होने पर</p> <p>*सिर्फ प्राथमिकता के लिए</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. मुखिया एवं पंचायत सेवक द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र : पंचायत मुखिया एवं पंचायत सेवक के पास जाएं और उनसे यह प्रमाणित करने का अनुरोध करें कि आप 'निराश्रित' हैं- यानी 45 वर्ष से ऊपर के एकल महिला या विवाहित होने के बाद परित्यक्त महिला हैं और असहाय हैं।

<p>जाति प्रमाण पत्र नहीं होने पर</p> <p>*ध्यान रखे की जाती प्रमाण पत्र सिर्फ प्राथमिकता के लिए जरूरी होता है। ये नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत नहीं होना चाहिए</p>	<p>जाती प्रमाण पत्र अपलोड किया जा सकता है। वे न होने पर, मुखिया से सत्यापित प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं।</p> <p>जाती प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया -</p> <p>पहला कदम: अपना समूह को पहचानें -</p> <ul style="list-style-type: none"> - अनुसूचित जनजाति समूह के लिए/ आदिम जनजाति के लिए - झारखंड राज्य की केंद्रीय सूची/सूची में विशिष्ट एससी/एसटी समूह की क्रम संख्या और संकल्प संख्या प्राप्त करें। अनुसूचित जनजातियों की अधुनातन सूची (राज्य और केंद्र क्षेत्र भर में) किसी भी समय जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। अनुसूचित जनजाति की सूची - अनुसूचित जाति समूह के लिए - अनुसूचित जातियों की अधुनातन सूची सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर अनुसूचित जाति कल्याण पर जाकर और फिर अनुसूचित जातियों की सूची पर क्लिक करके पाई जा सकती है। [अनुसूचित जाती की सूची सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय - भारत सरकार] <p>दूसरा कदम: आवेदन की प्रक्रिया</p> <ul style="list-style-type: none"> - आवश्यक दस्तावेज़: 1. पहचान प्रमाण - आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, डाक विभाग द्वारा जारी कोई भी फोटो आईडी, ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा जारी फोटो आईडी प्रमाण पत्र, डाकघर या किसी अनुसूचित बैंक की वर्तमान पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी फोटो आईडी कार्ड, फोटोयुक्त किसान पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड (आधार अनिवार्य नहीं है); 2. पते का प्रमाण - डाक विभाग द्वारा जारी कोई भी आईडी जिस पर पता लिखा हो, निवास प्रमाण पत्र, किसी डाकघर या अनुसूचित बैंक की पासबुक जिसमें पता लिखा हो, किसान पासबुक जिसमें पते का उल्लेख हो, राशन कार्ड, सांसद द्वारा जारी फोटोयुक्त पते का प्रमाण पत्र। / विधायक / समूह ए राजपत्रित अधिकारी / ग्राम पंचायत मुखिया (5+ वर्ष के निवास प्रमाण सहित), जाति का प्रमाण (व्यक्ति की जाति की पुष्टि करने वाले मुखिया का अनुशंसा पत्र / भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जाति का उल्लेख किया गया है / की रिपोर्ट) आवेदक की जाति से संबंधित पटवारी/तहसीलदार), खतियान की फोटोकॉपी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जैसा कुछ)
--	--

	<p>3. आय प्रमाण पत्र</p> <p>4. आवेदक का फोटो</p> <ul style="list-style-type: none"> - आवेदन के लिए फॉर्म भरें: जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट - 1, 2, 3 - भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंचायत मुखिया/प्रखंड स्तर पर जमा करें। - आवेदन का सत्यापन ब्लाक स्तर पर अंचल पदाधिकारी और जिला स्तर डीसी द्वारा किया जाता है।
--	--

<p>बैंक खाता न होने पर</p> <p>*पेट्रोल सूसिडी जैसे अन्य लाभ लेने के लिए खाता बनाएँ। ये जरूरी नहीं हैं।</p>	<p>नया बैंक खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निकटतम CSP/BC प्वाइंट या बैंक शाखा पर जाएं -</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 आवेदक का <u>फोटो</u>, - <u>पहचान का एक प्रमाण</u>: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या नरेगा जॉब कार्ड - <u>पते का प्रमाण</u> यदि पहचान के प्रमाण में पता शामिल है, तो एक पहचान पर्याप्त है। <p>क्या पैन कार्ड बैंक खाता खोलने में अनिवार्य है ?</p> <p>नया खाता खोलने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनका होना मददगार है।</p> <p>क्या आधार कार्ड नया खाता खोलने के लिए अनिवार्य है ?</p> <p>नया बैंक खाता खोलने के लिए अब आधार अनिवार्य है। आधार के बिना बैंक खाता खोला जा सकता है लेकिन चूंकि बायोमेट्रिक authentication संभव नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति CSP/BC पॉइंट आदि से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।</p> <p>नया बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। 2. खाता खुलने के बाद CSP/BC प्वाइंट से एक पासबुक लें। 3. खाता खोलने के लिए किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है; केवल न्यूनतम शेष राशि (मापदंडों के अनुसार) बनाए रखी जानी है। 4. जीरो बैलेंस खाते CSP/BC प्वाइंट से खोले जा सकते हैं।
--	---

3.1.3 नया राशन कार्ड / नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिए हैं पर वह लंबे समय से पेंडिंग या अस्वीकृत हो गया हो

RCMS पोर्टल के आवेदन कैसे ट्रैक करे . MIS में पूरा विस्तार है

इस लिंक से जाएँ <https://jsfss.jharkhand.gov.in/SecCardholders/index>

- आवेदन स्थिति चेक करने के लिए विकल्प में जाये .
- यह एक महत्वपूर्ण चीज है कि प्रतीक्षा सूचि लंबित आवेदन नहीं माना जा सकता है जैसे ये जिला द्वारा स्वीकृत हो चुका है. हलाकि ये लम्बा समय ले सकता है ये NSFA में रिक्त होने के अधीन है (जैसे ही कुछ रिक्त खाली होगा तुरंत सूचि में दिखने लगेगा).
- नए राशन कार्ड के लिए या नाम जोड़ने का आवेदन करने पर विभिन्न प्रकार की स्थिति RCMS में दीखता है। यह सभी प्रकार के राशन कार्डों के लिए लागू है- i. BSO द्वारा पेंडिंग, ii. DSO द्वारा लंबित, iii. DSO द्वारा पारित iv. प्रतीक्षा सूची (प्रतीक्षा सूची नंबर भी दिखाया जाता है) - यह लाल कार्ड के तहत किए गए नाम जोड़ने के आवेदन, पीला कार्ड और नए ग्रीन कार्ड में नाम जोड़ने के आवेदन में दिखाया गया है। DSO द्वारा अनुमोदन के बाद प्रतीक्षा सूची दिखाई देती है।

मुद्दा	समाधान/हल
<p>आवेदन किया लेकिन अस्वीकृत (प्रखंड स्तर में नया राशन कार्ड या सदस्य का नाम जोड़ने के लिए)</p>	<p>नया राशन कार्ड के लिए - नया राशन कार्ड आवेदन को ट्रैक करने के लिए पावती संख्या की आवश्यकता होती है। पावती संख्या न होने के मामले में राशन कार्ड संख्या से जाँच कर सकते हैं जो MIS भाग में विस्तृत है। पेज खुलने के बाद टिप्पणी देखें जो BSO कार्यालय द्वारा दिया गया है। कुछ कारणों से अस्वीकृत हो सकता है - राशन कार्ड के लिए अपात्र, दुबलिकेट राशन कार्ड, गलत जानकारी आदि।</p> <p>कुछ प्रखंड में अन्य कारणों को देखा गया है - जाती प्रमाण पत्र नहीं देने या सही से दस्तावेज संलग्न नहीं करने के आधार आवेदन अस्वीकृत किया गया है . प्रखंड कार्यालय/ जिला कार्यालय जाती प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने के आधार पर आवेदन अस्वीकृत नहीं कर सकती है .राज्य खाद्य आयोग को आंतरिक शिकायत तंत्र के अनुसार शिकायत दर्ज की जा सकता है। (अधिक जानकारी के लिए Chapter 5 देखें)</p> <p>यदि अविकृति की स्थिति में अस्पष्ट कारण नहीं दिया गया है (सही से दस्तावेज अपलोड नहीं किया) तो प्रखंड अधिकारी जाँच के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह सामूहिक कार्यवाही का बिंदु हो सकता है।</p>

<p>नया राशन कार्ड आवेदन लम्बे समय से लंबित है।</p>	<p>पावती संख्या के माध्यम से आवेदन की स्थिति का जाँच करना। स्थिति रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण जाँच करे - (a) आवेदन की तिथि (b) स्थिति (c) कार्ड का प्रकार</p> <p>1. PHH कार्ड के अंतर्गत आवेदन किया</p> <ul style="list-style-type: none"> - इस तरह आवेदन की स्थिति जाँच ले - कहीं ये BSO / DSO के अधी तो पेंडिंग तो नहीं है - PHH कार्ड के लिये 2019 -21 में खुला था लेकिन बाद में बंद हो गया। अब आवेदन अब केवल हरा / सादा कार्ड के लिए होता है। ये देखा गया है कि 2019-21 के आसपास कई ऐसे आवेदन दिया गया है जो आवेदन अब तक पेंडिंग है। इसकी शिकायत दर्ज होनी चाहिए क्योंकि स्वीकृत /अस्वीकृत के लिए दिया गया समय सीमा पार कर चुकी है। उदहारण <p>(A) आवेदक नया कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है।</p> <p>2. हरा राशन कार्ड अंतर्गत आवेदन किया</p> <ul style="list-style-type: none"> - आवेदन तिथि के अनुसार जाँच करे a) यदि 60 दिनों के अन्दर है , तो स्थिति जाँच करे - यदि BSO/ DSO स्तर पर अबतक लंबित है , तो एक प्रति पावती संख्या साथ में आधार कार्ड , आवेदन (भरा हुआ)के साथ अन्य दस्तावेज प्रखंड/ जिला में जामा किया जा सकता जहाँ पर लंबित है। b) यदि 60 दिन से अधिक हो चूका है - आवेदन की स्थिति जाँच करे की किस स्तर पर लंबित है। तो एक प्रति पावती संख्या साथ में आधार कार्ड , आवेदन (भरा हुआ)के साथ अन्य दस्तावेज प्रखंड/ जिला में जामा किया जा सकता जहाँ पर लंबित है। चूँकि, ये 60 दिनों का समय सीमा पर हो चूका , तो राज्य आयोग में शिकायत दर्ज की जा सकती है साथ में सबूत के तौर पर आवेदन की स्थिति का प्रति, आधार और अन्य दस्तावेज। <p>(B) यदि उनके पास पावती संख्या नहीं है या उनके आवेदन के लिए अन्य कोई दस्तावेज का सबूत नहीं है</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. एक साधारण पत्र में शिकायत दर्ज की जा सकती है। आवेदक से विवरण माँगा जा सकता है - वे आवेदन कब भरा, आवेदन देने के लिए कहाँ गये , आवेदन के दौरान क्या क्या दस्तावेद दिया , कहीं पैसा भी दिए आदि। <p>BSO/DSO भी अपने लॉग इन के माध्यम से पावती संख्या का विवरण दे सकते है, UID (आधार) सर्च के माध्यम से।</p>
--	---

<p>नया सदस्य के नाम जोड़ने के लिए आवेदन लम्बे समय से लंबित है</p>	<p>आवेदन की स्थिति का ट्रैक पावती संख्या से जाँच करना है , यदि उनके पास पावती संख्या नहीं है तो वे राशन कार्ड से आवेदन का स्थिति जाँच कर सकते हैं RCMS portal पर (MIS SI no 13 page 42 देखें)।</p> <p>स्थिति रिपोर्ट (status report-) में निम्नलिखित विवरण जाँच करे ।</p> <ol style="list-style-type: none"> पिछला आवेदन किया गया है किए गए अनुरोध का प्रकार, केवल विशेष मुद्दा के लिए, (नोट-नाम जोड़ने के लिए) आवेदन का तिथि पावती संख्या , यदि कोई आवेदक एक से अधिक बार आवेदन किया, तब नोट-आवेदन विवरण जैसे पिछला आवेदन कब किये थे , क्या स्थिति था, यदि असिकृत हुआ तब क्या कारण था। इस को नोट कर लें <p>अभी जो आवेदन किये है उसे जाँच करे। जाँच करे, यदि हाल ही में जो आवेदन किये है वो लंबित या अस्वीकृत या प्रतीक्षा सूचि में है।</p> <ol style="list-style-type: none"> यदि अस्वीकृत है - अस्वीकृति का कारण जाँच करे। यदि अस्वीकृति का उचित नहीं है तो शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि BSO/DSO में अब तक लंबित है - तो एक प्रति पावती संख्या साथ में आधार कार्ड , आवेदन (भरा हुआ)के साथ अन्य दस्तावेज प्रखंड/ जिला में जामा किया जा सकता जा है। यदि आवेदन 2 माह से अधिक लंबित है तो एक शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि आवेदन प्रतीक्षा सूचि में है - ये आमतौर पर PHH कार्ड में नाम जोड़ने के लिए होता है। इसका मतलब है की आवेदन दोनों स्तर पर अविक्त हो चूका है और अब आवेदन प्रातिक्षा सूचि में है जैसे ही NFSA कार्ड के लिए रिक्त होगा तो मंजूरी मिल जायेगा।
---	--

3.1.4. OTP का समस्या ,आधार के संबंधित समस्या आदि.

मुद्दा	समाधान/हल
--------	-----------

<p>RCMS में लॉग इन करने में सक्षम नहीं क्योंकि वे मोबाइल OTP मांगता है</p>	<p>जनवरी 2024 से, कार्डधारी लॉग इन में, जो यूजरनेम के तरह राशन कार्ड और परिवार के मुखिया के आधार संख्या का अंतिम 4 अंक की आवश्यकता होती है और एक अतिरिक्त मोबाइल OTP की भी आवश्यकता होती है लॉग इन के लिए।</p> <p>ये नोट करना है की परिवार के के मुखिया के आधार के साथ कौन सा मोबाइल न० लिंक हुआ है जिसमे OTP प्राप्त होगा और राशन कार्ड से जुड़े नंबर पर ओटीपी प्राप्त नहीं होगा।</p> <p>इस कदम में कई चुनौतिया हो सकता है</p> <ol style="list-style-type: none"> परिवार के मुखिया के आधार के साथ मोबाइल लिंक नहीं है आधार के साथ जो मोबाइल लिंक था वह न० अब काम नहीं कर रहा है / या बंद हो गया है या लम्बे समय से निष्क्रिय होने के कारण डिस्कनेक्ट है। परिवार के मुखिया के आधार के साथ जो मोबाइल नम्बर जुड़ा था वह काम करता है लेकिन वह कोई और परिवार रखता है जो आसपास नहीं है। OTP प्राप्त करने के लिए राशन कार्डधारी के सदस्य उस व्यक्ति के साथ संपर्क कर सकते है। <p>एक दो मुद्दों के लिए -आधार सेंटर जाकर समाधान की जा सकती है। सुधार/अपडेशन करके।</p>
<p>मेरा आधार किसी अन्य राशन कार्ड में अन्य व्यक्ति के साथ जुड़े होने के कारण आवेदन करने में असमर्थ हूँ (गलती से लिंक हो गया)</p>	<p>मेरा राशन ऐप के मध्यम से जाँच करे - आधार सिडिंग के माध्यम से > आधार न० दर्ज करे। ऐप दिखाएगा की राशन कार्ड के साथ लिंक आधार संख्या। (MIS SI no 16 देखे)</p> <p>समस्या को समझाते हुए जिले को लिखित आवेदन। (शिकायत फॉर्मेट)</p>

3.1.5. अन्य मुद्दे

<p>मेरे पास राशन कार्ड की कॉपी नहीं है इसलिए मैं राशन नहीं ले सकता</p>		<p>कभी-कभी कार्डधारकों के पास जब राशन कार्ड की कॉपी समाप्त हो जाती है और वे नए राशन कार्ड की कॉपी के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें यह समझ हो जाता है कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है</p>
--	--	---

		<p>और इसलिए वे राशन नहीं ले सकते।</p> <p>यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि कार्डधारक का डेटाबेस पी.डी.एस सर्वर में है और वह अभी भी डीलर से राशन ले सकता है।</p> <p>हकदारियों को सुझाव दिया जाना चाहिए कि वे राशन कार्ड (किसी भी प्रकार) की फोटोकॉपी, या आहार पोर्टल से राशन कार्ड विवरानी का प्रिंट अपने पास रखें।</p> <p>कुछ प्रजा केंद्र ऐसे हैं जो राशन कार्ड की कॉपी भी छापते हैं। वे रुपये से शुल्क लेते हैं। 100-150। एक कॉपी रखना जिसमें लेन-देन का रिकॉर्ड हार्डकॉपी में रखना भी एक अच्छा अभ्यास है। हकदारियों का अपने पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा। इसके अलावा epos से लेनदेन के बाद स्लिप लेना भी जरूरी है। यह आभास रहना चाहिए की ये हमारा हक है</p>
<p>डीलर/कुछ वार्ड सदस्य/बिचौलियों द्वारा नये राशन कॉपी के लिए पैसे की मांग की गयी है.</p>		<p>आम तौर पर राशन कार्ड की कॉपी समाप्त होने के बाद, कुछ भ्रष्ट बिचौलियों द्वारा नए राशन कार्ड की प्रतिलिपि बनाने के लिए अत्यधिक राशि की मांग की जाती है।</p> <p>यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसे रणनीतिक रूप से हल किया जा सकता है। यह भी जानकारी दे सकते हैं कि वे अपने राशन कार्ड की कॉपी प्रजा केंद्र रु. 100-150 में या ब्लाक से भी मांग सकते हैं।</p>
<p>मैं अपना राशन कार्ड का बंटवारा करना चाहता हूं</p>		<p>राशन कार्ड को बंटवारा करने की कोई सीधी प्रक्रिया नहीं है।</p> <p>परिवारों को बंटवारा करने का एक मात्र तरीका सदस्यों के नाम कटवाना और नए राशन कार्ड के</p>

		<p>लिए आवेदन करना है। यह प्रक्रिया अनुशंसित नहीं है।</p>
<p>मेरा राशन कार्ड/एक सदस्य मेरी जानकारी के बिना हटा दिया गया है।</p>		<p>समस्या का समाधान करने से पहले हमें विभिन्न महत्वपूर्ण बातें समझने की आवश्यकता है।</p> <p>परिस्थिति 1- पिछला राशन कार्ड जो बहुत पहले जब बना था और अब सक्रिय नहीं होने के कारण वैसा राशन कार्ड नहीं है। वर्तमान में उनके पास या तो राशन कार्ड नहीं है या उनके पास सफेद या हरा राशन कार्ड है:</p> <p>यहां हमें यह समझने की जरूरत है कि जो पुराने राशन कार्ड हैं वे सक्रिय नहीं हैं।</p> <p>जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।</p> <p>परिस्थिति 2: उनका राशन कार्ड हाल ही में (डिजिटलीकरण के बाद) बनाया गया था लेकिन हटा दिया गया था। और क्या कारण से डिलीट किया है, इसकी भी जानकारी नहीं है: यहां हम पूछ सकते हैं कि क्या उनके पास हटाए गए राशन कार्ड की कोई प्रति है या क्या उनके पास राशन कार्ड नंबर है।</p> <p>हम आधार पोर्टल या RCMS के माध्यम से राशन कार्ड डिलीट होने का कारण जांच सकते हैं।</p> <p>यहां हकदार नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।</p> <p>जिनकी जानकारी में राशन कार्ड से नाम कट गया है, वे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए MIS SI 6 देखें।</p>

3.2. राशन वितरण के संबंध में

मुद्दा	समाधान/हल	टिपणी
<p>राशन लेते समय अंगूठा/ फिंगर काम नहीं करना या राशन कार्ड के साथ आधार का लिंक नहीं होना /सीडिंग नहीं होना</p>	<p>परिस्थिति 1: जब बायोमेट्रिक अपडेट की ज़रूरत हो : यह आम तौर पर वृद्ध लोगों, श्रमिकों या अन्य आम जनता जिनको आधार में दोबारा अपना फिंगर अपडेट/ekyc करवाने की ज़रूरत पड़ता है।</p> <p><u>कहाँ जाएँ?</u> - बायोमेट्रिक अपडेट/eKYC के लिए आधार केंद्र जाएँ। आधार बायोमेट्रिक अपडेट का फॉर्म और प्रक्रिया पूछें। इसमें लगभग रु. 100 तक लगेगा।</p> <p>परिस्थिति 2: हकदार के राशन कार्ड में किसी और का आधार सीडिंग का होना - यह परिस्थिति कहीं कहीं देखा गया है। कई बार फिंगर/अंगूठा इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि हकदार के अपने आधार के बजाये गलती से दूसरे व्यक्ति का आधार जुड़ गया है।</p> <p>यह जांचने के लिए कि क्या सही आधार जोड़ा गया है - आधार पोर्टल पर जाएं> लाभुक कार्ड की जानकारी पर जाएं> राशन कार्ड विवरण> राशन कार्ड दर्ज करें> दिए गए विवरण के तहत नाम के सामने चेक करें। आधार पोर्टल में उल्लिखित राशन कार्ड के अंतिम चार अंकों को सदस्य के आधार से सत्यापित करें।</p> <p>RCMS पोर्टल में आधार सुधार के माध्यम से समाधान किया जा सकता है (MIS SI. 12 देखें) या एक लिखित आवेदन दायर किया जा सकता है (रिज़ॉल्यूशन Table ए.4.2 देखें)</p> <p>नोट किया जाये - डीलर अंगूठा/फिंगर नहीं चलने पर राशन देने से इनकार नहीं कर सकता - अन्धुता के अलावा और दुसरे तरीके हैं,</p>	<p>खासतौर पर वृद्ध लोगों, दिहाड़ी मजदूरों को इससे जुड़ी दिक्कतें होती हैं क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट में बदलाव आ जाता है।</p> <p>5-15 वर्ष की आयु के बच्चों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं होता है।</p> <p>इसलिए उनका बायोमेट्रिक UID डेटाबेस से मेल नहीं खाता है।</p>

	<p>जिनके माध्यम से राशन दिया जा सकता है - IRIS (अगर उपलब्ध हो तो) OTP (आधार लिंक मोबाइल) के माध्यम से।</p> <p>अगर ऊपर दिए गये उपाय भी न चले तो डीलर "अपवाद" के माध्यम से भी राशन दे सकता है, हालांकि अपवाद के माध्यम से राशन प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है (यहाँ अपवाद के बारे में अध्याय 2, अपवाद अनुभाग देखें)</p>	
डीलर पूरा राशन नहीं देता है	<p>यह DGRO/राज्य खाद्य आयोग को खत लिखा जा सकता है जिसमें। ध्यान दिया जाये की जो भी मुद्दा हो उसे स्पष्ट रूप से बताते हुए शिकायत दर्ज किया जाए।</p>	<p>PDS control order 2022 sec. 28(v) के अनुसार: यदि डीलर या डोर स्टेप डिलीवरी एजेंट (DSD) आपके हक के राशन से यदि कम देता है उन्हें जुर्माना देना पड़ता है। राज्य खाद्य विभाग द्वारा संबंधित DSO के माध्यम रु. 100/ प्रति किग्रा. के दर से लगाया जा सकता है।</p>
एक बार बायोमेट्रिक्स दे चुके हैं और कुछ दिन बाद राशन लेने को कहा गया हो	<p>कई जगहों पर पहले अंगूठा/फिंगर लेने और फिर बाद में कुछ दिन बाद राशन देने का चलन देखा गया है।</p> <p>यह ज़रूरी है की हमें इस मुद्दे को रणनीतिक रूप से हल किया जाना चाहिए। हमें यह पहचानने की ज़रूरत है की कौन सा डीलर इस तरीके से वितरण कर रहा है।</p> <p>सामूहिक रूप से कार्रवाई करने में ग्राम सभा प्रमुख भूमिका निभा सकती है। ग्राम सभा के माध्यम से आपसी सहमति से यह निर्णय लिया जा सकता है कि जब तक बायोमेट्रिक्स और राशन एक ही दिन में नहीं</p>	<p>यह जांचने के लिए कि खाद्यान्न डीलर की दुकान तक कब पहुंचता है -</p> <p>आहार पोर्टल > विक्रेता > विक्रेता विवरण पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए MISSI 5 देखें</p>

	<p>दिया जाता तब तक फिंगरप्रिंट नहीं लिया जाएगा।</p> <p>इसके अलावा ग्राम सभा के माध्यम से सभी के हस्ताक्षर के साथ एक ग्राम सभा के तरफ से शिकायत दर्ज की जा सकती है। ग्राम सभा के सदस्यों की अनुमति से लिया जाना चाहिए। (फॉर्मेट)</p>	
<p>कोई नेटवर्क नहीं होने के वजह से EPOS काम नहीं करना / पीडीएस सर्वर डाउन होने के वजह से उस दिन राशन नहीं ले पाना</p>	<p>परिस्थिति 1: उन क्षेत्रों में जहां बिल्कुल कोई नेटवर्क नहीं है, वहां कहीं-कहीं सरकार द्वारा डीलर को ऑफलाइन मोड में वितरण करने की अनुमति देते हैं। जैसे कई जगह का मामला या ऑफलाइन वितरण और बाद में महीने के अंत में लेनदेन अपलोड करते हैं।</p> <p>केस 2: अन्य बाकी जगह जहां कम या ठीक ठाक नेटवर्क है - डीलर के पास अपने खर्च पर सरकार के आदेश पर डीलर राउटर और वाई फाई कनेक्शन लगाने के लिए कहाँ गया है। हालाँकि, उन्हें 2G Epos मशीन प्रदान किया गया है जो कभी-कभी हाई स्पीड नेटवर्क पर काम नहीं करता।</p> <p>वेह भी एक कारण है जिसके वजह से डीलर को दूसरे स्थान पर जहां नेटवर्क उपलब्ध है वहां बायोमेट्रिक्स लेने और बाद के दिनों में राशन देने का चलन होता है।</p> <p>संकल्प: ऑनलाइन किए गए लेन-देन (फिंगर या अन्य माध्यम से) और वास्तव में राशन लेने में अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसे मामले से बचने के लिए ग्राम सभा सामूहिक कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कुछ रणनीतियों को अपनाया जा सकता है और एक आपसी सहमति से तय किया जा सकता है जहां डीलर के साथ-साथ वितरण के लिए तारीखों और</p>	

	<p>स्थान की पूर्व-योजना बनाई जा सकती है। या फिर यह निर्णय लिया जा सकता है कि जब तक बायोमेट्रिक्स और राशन एक ही दिन में नहीं दिया जाता तब तक फिंगरप्रिंट नहीं लिया जाएगा।</p> <p>ग्राम सभा में लिए गए निर्णय की जानकारी ब्लॉक एवं जिले के अधिकारियों को भी दी जाए।</p>	
--	---	--

3.3 अन्य मुद्दे

मुद्दा	समाधान/हल	टिपणी
<p>हरा राशन कार्ड में खाद्यान्न वितरण में अनियमिता</p>	<p>मूलभूत चुनौती, झारखंड में निष्क्रिय लैंप/पैक्स का होना</p> <p>झारखण्ड राज्य खाद्य योजना (हरा राशन कार्ड) की स्थापना के दौरान यह तय किया गया था की हरा कार्ड के अन्तर्गत खाद्यान्न FCI का योजना OMSS (D) से खरीदने का तय किया गया था। FCI ने OMSS (D) के तहत उन्होंने राज्य एजेंसियों को खाद्यान्न बेचने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किया था।</p> <p>हालाँकि बाद में इस योजना के तहत खाद्यान्न की आवाजाही कम हो गई, इसलिए FCI ने इस योजना को वापस ले लिया। इसलिए वितरण के लिए तब झारखण्ड राज्य के पास खाद्यान्न नहीं रहा।</p> <p>इसलिए फिर दूसरा उपाय यह निकला गया की हरा राशन कार्ड के लिए खाद्यान्न की विवस्था प्राइवेट व्यापारी से लिया जाए। इसलिए फिर टैंडर के द्वारा हरा राशन कार्ड</p>	

	<p>के लिए खाद्यान का विवस्था किया जा रहा है। इसमें जिसने भी सबसे अच्छा दाम में जो खाद्यान बेचेगा , उनसे झारखण्ड सरकार खाद्यान्न खरीद लेगी ।</p> <p>इस प्लान को लाने में समय लगा था इसलिए वर्तमान में, ग्रीन राशन कार्ड के तहत राशन का बैकलॉग वितरण जारी है, जहां वे पिछले 6-7 महीनों के लिए ग्रीन राशन वितरण का राशन वितरित कर रहे हैं।</p>	
<p>ONORC के तहत कार्डधारियों को राशन उपलब्ध कराने से डीलर द्वारा इनकार।</p>	<p>ONORC के तहत अब झारखण्ड या किसी भी राज्य से NFSA कार्डधारी राशन ले सकते हैं। यह संभव इसलिए है क्योंकि NFSA एक राष्ट्रीय स्तर पर लागु है और यह inter-state portability के कारण प्रबंध किया जाता है।</p> <p>हालाँकि इसको सही ढंग से लागु नहीं हो पता। डीलर कई बार ONORC के तहत राशन देने से इसलिए मना कर देते हैं ये बोलके की उनके पास सिर्फ अपने कार्ड धारी के लिए ही खाद्यान है। यह चुनौती खासतौर पर उनके लिए होता है जहाँ ONORC का जायदा लेनदेन नहीं हुआ हो।</p>	<p>ONORC ग्रीन कार्ड के लिए लागू नहीं होता है</p> <p>आहार पोर्टल से भी ONORC के लेनदेन को देखा जा सकता है - aahaar पोर्टल > ONOR > जानकारी डालें</p> <p>राष्ट्र स्तर के लिए IMPDS पोर्टल</p> <p>https://impds.nic.in/porta/</p>

3.3.1 खाद्य सुरक्षा भत्ता

Q. खाद्य सुरक्षा भत्ता क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) अधिनियम धारा 8 के अनुसार, यदि किसी कार्डधारक को आवंटित माह के लिए राशन नहीं मिलता है, तो उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रावधान के तहत उन मामलों में मुआवजे के रूप में नकद भत्ता दिया जाता है जहां लोग खाद्यान के अधिकार से वंचित हैं। भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015 की धारा 7 के अनुसार, राज्य सरकार खाद्यान लूगों को नहीं दे पाती है तो उस महीने के तीन सप्ताह के भीतर भत्ते का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

Q. खाद्य सुरक्षा भत्ते का दावा कैसे करें?

खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2019, झारखंड सरकार द्वारा आर्डर के अनुसार, नामित नोडल अधिकारी को प्रत्येक माह के अंत में पात्र व्यक्ति को खाद्यान्न की आपूर्ति की स्थिति का सत्यापन करेंगे। आपूर्ति न होने की स्थिति में, नोडल अधिकारी को इसे लिखित रूप में दर्ज करना होगा और बैंक खातों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

नोडल अधिकारी: नोडल अधिकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) अधिनियम की धारा 14 के तहत राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी है। यदि नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं है तो क्या ग्राम सभा/पंचायत जन प्रतिनिधि जांच के लिए पत्र लिख सकती है। राशन न मिलने की शिकायत पर नोडल अधिकारी को DGRO के पास शिकायत दर्ज करानी होगी। यदि नोडल अधिकारी की नियुक्ति के बाद भोजन भत्ता नहीं दिया जाता है भत्ता नहीं मिलने पर DGRO से शिकायत की जा सकती है। शिकायत का समाधान 30 दिन के अंदर करा जाना चाहिए। DGRO की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने पर झारखंड राज्य खाद्य आयोग में अपील की जा सकती है।

Q. खाद्य सुरक्षा भत्ते की गणना कैसे की जाती है?

नियमों के अनुसार, खाद्य सुरक्षा भत्ते की राशि की गणना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) अधिनियम की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट मूल्य (जो चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम है) को घटाकर संबंधित खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) के 1.25 गुना के बीच अंतर लेकर किया जाता है।, गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलो और मोटे अनाज के लिए 1 रुपये प्रति किलो रहेगा।

उदाहरण के लिए - यदि चार सदस्य का परिवार, किनके पास लाल कार्ड है और वह अपने अधिकार से वंचित है। मान लीजिए कि गेहूं का MSP 15 रुपये है, तो खाद्य सुरक्षा भत्ता $(1.25 \times 15) \times 20 - (2 \times 20) = 335$ होगा।

3.3.2 मैं किसी महीने का राशन नहीं ले पाया क्योंकि मैं गांव में नहीं था। क्या मैं अगले महीने पिछले महीने और इस महीने ला एकसाथ राशन ले सकता हूँ?

हकदार के नजरिए से

1. जो परिवार अक्सर पलायन कर्ता है उन्हें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण वे किसी भी माह का राशन लेने से चूक जाते हैं।

2. ऐसे भी होता है जब उन्हें यह जानकारी नहीं मिल पाती कि राशन कब वितरित किया जाना है।

PDS Control Order 2022 के अनुसार, हकदार पिछले महीने का राशन चालू महीने के राशन के एक साथ या किस्त में ले सकते हैं।

हालाँकि देखा गया कि सभी डीलरों पर जिस महीने का आंक्टन है उसी महीने में राशन वितरण करने का दबाव रहता है। डीलरों के अनुसार पिछले माह का राशन वितरण का विकल्प खोलना अधिकारियों के निर्णय पर निर्भर है। इसलिए कोशिश

यही होना चाहिए की हकदार हो सके तो उसी महीने में राशन लेने का कोशिश करें या IMPDS / ONOR के द्वारा राशन अपने पलायन किये स्थान से भी ले सकते हैं ।

3.3.3. इस राशन कार्ड में मैं अकेला व्यक्ति हूँ और मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं राशन डीलर के पास राशन लेने नहीं जा पा रहा हूँ।

राशन कार्ड एकल व्यक्ति को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है यदि वह व्यक्ति बहुत बूढ़ा है और कोई सहारा नहीं है। वह राशन लेने के लिए दुकान तक यात्रा नहीं कर सकता/सकती है।

यदि व्यक्ति विकलांग है और परिवार का सहारा नहीं है तो भी यही स्थिति है।

PDS control order 2022 sec 24 (ix) के अनुसार, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रावधान है और अन्य नामित व्यक्ति उसकी ओर से राशन ले सकता है।

अध्याय 4 : शिकायत निवारण की प्रक्रिया

अध्याय 3 में कुछ सामान्य राशन कार्ड और राशन वितरण सम्बंधित मुद्दों पर बातचीत किया गया साथ में उचित समाधान पर बात की गयी। कुछ मुद्दा जैसे लंबित आवेदन, उचित मात्रा में राशन नहीं मिलना, डीलर की मनमानी आदि सम्बंधित अधिकारी से शिकायत निवारण की आवश्यकता हो सकती है। PDS के मामले में, राशन कार्डधारी के लिए उनके मुद्दों से सम्बंधित शिकायत दर्ज करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध है।

Table 4.1: शिकायत निवारण का विभिन्न तंत्र

जिम्मेवार विभाग	पोर्टल / ईमेल आईडी
सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले (राज्य सरकार)	Portal- https://pgms.dfcajharkhand.in/ Email ID- pgms@dfcajharkhand.in Phone No.- 1800-212-5512 or 1800-212-1967
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/DGRO	Portal- www.jharkhandsfc.in/ Email ID- mail@jharkhandsfc.in Whatsapp No.- 9142622194

4.1 आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र

राशन वितरण न होने या NFSA का उलंघन के मामले में हकदारों का शिकायत निवारण के लिए DGRO की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) 2013 के अंतर्गत की गई है। एन.एफ.एस.ए. की धारा 14 राज्य सरकारों को एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश देती है जिसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारियों का पदनाम या अन्य तंत्र शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक जिला में एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डी.जी.आर.ओ.) है जो पीड़ित राशनकार्डधारी का शिकायत सुनता है।

Table 4.2: आंतरिक शिकायत निवारण की प्रक्रिया और जिम्मेदार व्यक्ति

नोट :- किसी शिकायत पर लिखित कार्यवाही करने के लिए प्रारंभिक समय सीमा समाप्त होने के बाद DGRO 30 दिनों का समय ले सकते हैं।

जिम्मेदार व्यक्ति/विभाग (Stakeholder)	Portal www.jharkhandsfc.in/ / लिखित शिकायत	Whatsapp (9142622194)
DGRO	<ol style="list-style-type: none"> 1. शिकायतकर्ता से शिकायत प्राप्त करते हैं। 2. लिखित कार्यवाही करने से पहले अधिकारियों जाँच करवाते हैं। 3. सबूत के अधार पर शिकायत पे 30 दिन के अन्दर कार्यवाही करते हैं। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. खाद्य आयोग से शिकायतें प्राप्त करते हैं। 2. लिखित कार्यवाही करने से पहले अधिकारियों जाँच करवाते हैं। 3. सबूत के अधार पर शिकायत पे 30 दिन के अन्दर कार्यवाही करते हैं।
खाद्य आयोग	<ol style="list-style-type: none"> 1. DGRO की कार्यवाही के खिलाफ शिकायतकर्ता का अपील सुनते हैं। (लिखित शिकायत शिकायतकर्ता के लिए कम सुबिधाजक है) 2. कार्यवाही के लिए सम्बंधित अधिकारी को शिकायत भेजते हैं। 3. जाँच के अधार पर आदेश पारित करते हैं। 4. आदेश का कार्यान्वयन नहीं करने की स्थिति में सम्बंधित पदाधिकारी पर जुर्माना लगाते हैं। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. whatsapp से प्राप्त शिकायत को सीधा सम्बंधित DGRO को भेजते हैं। 2. शिकायतकर्ता को जाँच (पत्र), आदेश पत्र और अंत में क्रियान्वयन प्रमाण देते हैं। 3. क्रियान्वयन या जाँच के लिए सम्बंधित अधिकारी को शिकायत भेजते हैं। 4. जाँच के अधार पर आदेश पारित करते हैं। 5. आदेश के क्रियान्वयन नहीं करने की स्थिति में सम्बंधित पदाधिकारी पर जुर्माना लगाते हैं।
कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारी (BSO/DSO/DC)	<ol style="list-style-type: none"> 1. जाँच के लिए जानकारी उपलब्ध कराता है। 2. DGRO/ खाद्य आयोग द्वारा दिए गये आदेश को लागू करते हैं। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जाँच के लिए जानकारी उपलब्ध कराता है। 2. DGRO/ खाद्य आयोग द्वारा दिए गये आदेश को लागू करते हैं।

सारे पोर्टल कैसे चलते हैं देखने के लिए [यहा क्लिक करें](#)